संलग्न क्र.5 (1

मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–तराईमाल, पोस्ट–गेरवानी, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित स्टील प्लांट के क्षमता विस्तार के तहत् डीआरआई किल्न्स (स्पंज आयरन क्षमता–1,80,000 टन प्रतिवर्ष से 6,75,000 टन प्रतिवर्ष), इण्डक्शन फर्नेश विथ मेचिंग एलआरएफ एण्ड सीसीएम (एमएस बिलेट्स/इंगाट्स क्षमता–1,20,000 टन प्रतिवर्ष से 5,16,000 टन प्रतिवर्ष), रोलिंग मिल (रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–1,05,000 टन प्रतिवर्ष से 4,35,000 टन प्रतिवर्ष विथ कोल गैसीफायर क्षमता–2x10,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा), मिनी रोलिंग मिल विथ कोल गैसीफायर क्षमता–(33,000 टन प्रतिवर्ष विथ 1x2000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा), न्यू फेरो एलायज यूनिट क्षमता–2x9 एमव्हीए (फेरो मैग्निज–45,000 टन प्रतिवर्ष/सिलिको मैग्निज–30,000 टन प्रतिवर्ष/फेरो सिलिकॉन–15,000 टन प्रतिवर्ष/फेरो–क्रोम–30,000 टन प्रतिवर्ष), डब्ल्यू.एच.आर.बी. पॉवर प्लांट–18 मेगावाट से 48 मेगावाट, एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट–4 मेगावाट से 34 मेगावाट, नवीन फ्लाई ऐश ईट निर्माण इकाई क्षमता–80,000 नग प्रतिदिन एवं स्लेग क्रशर तथा बेनिफिकेशन इकाई क्षमता–66,000 टन प्रतिवर्ष के स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **दिनांक 10 मार्च 2021 का कार्यवाही विवरण :–**

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–तराईमाल, पोस्ट–गेरवानी, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित स्टील प्लांट के क्षमता विस्तार के तहत् डीआरआई किल्न्स (स्पंज आयरन क्षमता–1,80,000 टन प्रतिवर्ष से 6,75,000 टन प्रतिवर्ष), इण्डक्शन फर्नेश विथ मेचिंग एलआरएफ एण्ड सीसीएम (एमएस बिलेट्स/इंगाट्स क्षमता–1,20,000 टन प्रतिवर्ष से 5,16,000 टन प्रतिवर्ष), रोलिंग मिल (रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–1,05,000 टन प्रतिवर्ष से 4,35,000 टन प्रतिवर्ष विथ कोल गैसीफायर क्षमता–2x10,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा), मिनी रोलिंग मिल विथ कोल गैसीफायर क्षमता–(33,000 टन प्रतिवर्ष विथ 1x2000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा), न्यू फेरो एलायज यूनिट क्षमता–2x9 एमव्हीए (फेरो मैग्निज–45,000 टन प्रतिवर्ष/सिलिको मैग्निज–30,000 टन प्रतिवर्ष/फेरो सिलिकॉन–15,000 टन प्रतिवर्ष/फेरो–क्रोम–30,000 टन प्रतिवर्ष), डब्ल्यू.एच.आर.बी. पॉवर प्लांट–18 मेगावाट से 48 मेगावाट, एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट–4 मेगावाट से 34 मेगावाट, नवीन फ्लाई ऐश ईट निर्माण इकाई क्षमता–80,000 नग प्रतिदिन एवं स्लेग क्रशर तथा बेनिफिकेशन इकाई क्षमता–66,000 टन प्रतिवर्ष के स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु **लोक सुनवाई दिनांक 10.03.2021, दिन–बुधवार, समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–बंजारी मंदिर के समीप के स्थल, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)** में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगो का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी, साथ ही कोविड 19 के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 30.09.2020 के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने, हेण्डवाश अथवा सेनेटाईजर का उपयोग किये जाने, मास्क पहनने एवं थर्मल स्केनिंग किये जाने की जानकारी दी गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट

हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सुनवाई में कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतिकरण से प्रांरभ हुई। सर्वप्रथम माँ बंजारी के श्रीचरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मैं संजय कुमार भारती, प्रबंधक बी.एस. स्पंज प्राईवेट लिमिटेड की ओर से मान्नीय अपर कलेक्टर महोदय श्री आर.के. कटारा जी, एस.डी.एम. घरघोड़ा श्री ए.के. मार्बज जल, क्षेत्रीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल श्री शितेश कुमार वर्मा जी, ए.एस.पी. महोदय श्री अभिषेक वर्मा जी, सी.एस.पी महोदय श्री अविनाश ठाकुर जी उपस्थित मंचासीन अन्य पदाधिकारीगण तथा पुलिस प्रशासन एवं इस क्षेत्र के सभी सरपंचों, ग्रामपंचायत के गणमान्य नागरिकों का साथ ही उपस्थित जनता जनार्दन का मैं इस लोक सुनवाई में हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे द्वारा ग्राम तराईमाल, तहसील तमनार, जिला–रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्टील उत्पादन इकाई का संचालन किया जा रहा है। इस हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वार सम्मती नवीनीकरण जारी किया गया है जिसकी वैधता दिनांक 31.08.2022 तक है। वर्तमान में विस्तार में कम्पनी द्वारा विद्यमान डी.आर.आई. किल्न में क्षमता (स्पंज आयरन उत्पादन 1,80,000 टन प्रतिवर्ष से 6,75,000 टन प्रतिवर्ष) इण्डक्शन फर्नेस इकाई तथा इसके तथा इसके अनुकूल एल.आर.एफ एवं सी.सी.एम. में क्षमता विस्तार (एम.एस. इंगाट्स/बिलेट्स उत्पादन 1,20,000 टन प्रतिवर्ष से 5,16,000 टन प्रतिवर्ष) रालिंग मिल में क्षमता विस्तार (रोल्ड प्रोडक्ट्स 1,05,000 टन प्रतिवर्ष से 4,35,000 टन प्रतिवर्ष) नवीन कोल गैसीफायर (2x10,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा) नवीन लघु गैसीफायर युक्त रोलिंग मिल (33,000 टन प्रतिवर्ष्र्ज सह 1x2,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा गैसीफायर) नवीन फेरो एलायज उत्पादन इकाई 2x9 MVA (फेरो सिलिकांन 15,000 टन प्रतिवर्ष या फेरो मैगनीज 45000 टन प्रतिवर्ष या सिलिको मैगनजी 30000 टन प्रतिवर्ष या फेरो क्रोम 30000 टन प्रतिवर्ष के उत्पाद हेतु) वेस्ट हीट रिकव्हरी आधारित विद्युत उत्पादन इकाई (18 मेगावाट से 48 मेगावाट) एफ.बी.सी. आधारित विद्युत उत्पादन इकाई (4 मेगावाट से 34 मेगावाट) नवीन फ्लाई ऐश ब्रिक्स उत्पादन (80000 ईट प्रति दिन) तथा स्लैग क्रशिंग एवं बेनिफिकेशन इकाई (66000 टन प्रतिवर्ष) की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। विद्यमान संचालित इकाई हेतु वर्तमान में कम्पनी के पास 36.43 हेक्टेयर अर्थात 90 एकड़ भूमि उपलब्ध है तथा प्रस्तावित क्षमता विस्तार वर्तमान उपलब्ध भूमि एवं उससे लगी हुई भूमि 7.31 हेक्टेयर अर्थात 18.06 एकड़ पर किया जाना प्रस्तावित है। क्षमता विस्तार उपरांत कुल भूमि 43.74 हेक्टेयर अर्थात 108.06 एकड़ उपलब्ध होगी। प्रस्तावित क्षमता विस्तार की अनुमानित लागत 384 करोड़ रूपये है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना के लिए वर्तमान पर्यावरण नियमानुसार हमारे द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है इसी तारतम्य में यह जनसुनवाई आयोजित की गई है। वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु हमारे द्वार प्रदूषण की रोकथाम के लिए संचालित वेस्ट हीट रिकव्हरी बॉयलर युक्त स्पंज आयरन उत्पादन इकाई में ई.एस.पी., इण्डक्शन फर्नेस इकाई में बैग फिल्टर की स्थापना की गई है। सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की दक्षता विस्तार में वेस्ट हीट रिकव्हरी बॉयलर युक्त स्पंज ऑयरन उत्पादन इकाई में ई.एस.पी. की स्थापना, इण्डक्शन फर्नेस इकाई में बैग फिल्टर की सी.एफ.बी.सी. बॉयलर आधारित विद्युत उत्पादन इकाई में ई.एस.पी. की स्थापना स्लैग क्रशिंग इकाई एवं ई बनाने वाली इकाई में बैग फिल्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। सभी प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की दक्षता पार्टीकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 30

मिलिग्राम/घनमीटर से कम के अनुरूप होगी। जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु विद्यमान संचालित इकाईयों के लिए 630 किलो लीटर/दिन जल की आवश्यकता होती है जिसे भू–जल स्त्रोत से लिया जाता है तथा केन्द्रीय भू–जल मण्डल से अनापत्ती प्राप्त की गई है। विद्यमान वेस्ट हीट रिकव्हरी बॉयलरों के उन्नयन तथा एफ.बी.सी. बॉयलर जिसकी स्थापना हेतु सम्मती ली गई है उसके लिये जल की आवश्यकता 80 किलो लीटर/दिन होगी। प्रस्तावित परियोजना के लिए 1650 किलो लीटर/दिन जल की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित जल राशी का आहरण दिवानमुण्डा नाला से किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु जल संसाधन विभाग से ली जावेगी, इस संबंध में जल संसाधन विभाग का आवेदन किया गया है तथा आवेदन प्रक्रियाधीन है। प्रस्तावित विद्युत उत्पादन इकाई में जल खपत कम करने हेतु एयर कूल्ड कंडेंसर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। विद्यमान इकाई में क्लोज्ड सर्किट कूलिंग सिस्टम की स्थापना के कारण संचालित स्पंज ऑयरन इकाई, इण्डक्शन फर्नेस इकाई, से दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा। रोलिंग मिल से उत्पन्न दूषित जल को सैटलिंग टैंक में भेजा जाता है जहॉ से उसे पुर्नचक्रित किया जाता है। घरेलू दूषित जल की मात्रा 8.0 किलो लीटर/दिन है जिसका उपचार सैप्टिक टैंक तथा शोकपिट द्वारा किया जाता है। शून्य निस्तारण संकल्प का परिपालन किया जाता है। प्रस्तावित इकाईयों में क्लोज्ड सर्किट कूलिंग सिस्टम को अपनाया जावेगा जिससे डी.आर.आई. किल्नों, एस.एम.एस. इकाई, फैरो एलायज एवं रोलिंग मिल इकाईयों द्वारा किसी प्रकार का दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा। पॉवर प्लांट में एयर कूल्ड कंडेन्सर की स्थापना की जावेगी, जिससे जल खपत में काफी कमी आयेगी। अतः दूषित जल के उत्सर्जन में भी कमी आयेगी। प्रस्तावित क्षमता विस्तार के बाद औद्योगिक दूषित जल की अनुमानित मात्रा 217.0 किलो लीटर/दिन होगी जिसका उपचार ई.टी.पी. में किया जावेगा। उपचार के बाद इसका उपयोग डस्ट सप्रेशन, ऐश कंडिशनिंग, ईट निर्माण तथा सिंचाई में किया जावेगा। प्रस्तावित क्षमता विस्तार के बाद घरेलू दूषित जल की अनुमानित मात्रा 16.0 किलो लीटर/दिन होगी जिसका उपचार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किया जावेगा। उपचार के बाद इसका उपयोग सिंचाई में किया जावेगा। शून्य निस्तारण स्थिति बनाई रखी जावेगी जिससे आस–पास के पर्यावरण पर दूषित जल का नकारात्मक प्रभाव नही होगा। प्रस्तावित परिसर में 36 एकड़ (14.57 हेक्टेयर) भूमि पर हरित पट्टिका का विकास किया जाना प्रस्तावित है। जिससे विद्यमान हरित पट्टिका सम्मिलित है। विद्यमान पट्टिका की चोड़ाई न्यूनतम 10 मीटर है तथा परिसर में अब तक कुल 33000 नग वृक्षारोपण किये गये है जिसमें से लगभग 27000 नग पेड़ जीवित है। आगामी मानसून में 6000 नग वृक्षारोपण और किया जावेगा। हमारे द्वारा संचालित इकाई में आस–पास के लोगों को योग्यतानुसार रोजगार दिया गया है तथा प्रस्तावित परियोजना में भी स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जावेगी। सामाजिक दायित्व के निर्वहन नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार किया जावेगा। प्रस्तावित परियोजना में प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा सुझायें गये सभी उपायों को अपनाया जायेगा जिससे परियोजना द्वारा निकटस्थ क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव नहीं होंगे। अंत में परियोजना के लिये उपस्थित जनता से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों/परिवार, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों, समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार,

आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते है तो सादर आमंत्रित है। यहा सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

आपके द्वारा रखे गये तथ्यों, वक्तव्यों/बातों के अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी जिसे अंत में पढ़कर सुनाया जायेगा तथा आपसे प्राप्त सुझाव, आपत्ति तथा ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी, पुनः अनुरोध किया कि आप जो भी विचार, सुझाव, आपत्ति रखे संक्षिप्त, सारगर्भित तथा तथ्यात्मक रखें ताकि सभी कोई सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 650–700 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 143 लोगों ने हस्ताक्षर किये। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है –

सर्व श्रीमती/सुश्री/श्री –

1. अनिल शर्मा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
2. अंकुर मालाकर, तराईमाल – आज कंपनी का जनसुनवाई हो रहा है। मैं सबसे प्रार्थना करता हू कि कंपनी का विरोध न करें। बंजारी मां सबका मां है हम सब उनके बच्चे है। मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
3. शनिराम, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
4. जननी, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
5. तुलसी, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
6. समारीबाई, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
7. पुनीमति, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
8. नागवती, सामारूमा– मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
9. संतोषी यादव, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
10. तोषकुवंर, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
11. मेनका, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
12. बबीता देवी, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
13. उत्तरा यादव, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
14. धनकुमारी, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
15. नानबाई, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
16. अनुकाबाई, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
17. मीरावति, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
18. समारी, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
19. रश्मि यादव, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
20. रूखनी, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
21. श्यामबाई, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

22. दीना, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
23. रामवती, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
24. मीना, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
25. सीमा, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
26. समारू, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
27. रतिराम, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
28. अरूण, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
29. तेजराम, समारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
30. रामु यादव, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
31. राजकुमार, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
32. श्याम यादव, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
33. सत्येन्द्र, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
34. लेखुराम, बड़गांव – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
35. दयाराम, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
36. आनंदराम, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
37. मुकेश, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
38. अखिल शर्मा, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। आसानी से बोल दिये रोजगार मिलेगा। योग्यता के अनुसार नौकरी दे।
39. लुकेश्वरी साव, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
40. सेतमती, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
41. मंगली, धनवारपारा – बोरिंग दो टंकी दो, मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
42. सहोद्रा कुमारी – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
43. संजु, पूजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
44. अंबिका यादव, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
45. सरल यादव, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
46. गिरजा, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
47. ललिता राठिया, आमाघाट – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
48. सुमित्रा राठिया, आमाघाट – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
49. आशु, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
50. सावित्री, आमाघाट – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
51. ममता राठिया, आमाघाट – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
52. जेकोर, आमाघाट – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
53. सुशीला, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

54. मनीषा, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
55. सुषमा, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
56. लक्ष्मी, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
57. निर्जलाबाई, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
58. जयमाला, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
59. रूकमणी, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
60. रजनी सोनी, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
61. मंगली, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
62. गुप्ता, आमाघाट – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
63. अमित, आमाघाट – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
64. सुरेश आमाघाट – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
65. नोहरराम, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
66. जगेन्द्र, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
67. जितेन्द्र कुमार, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
68. हेमलाल, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
69. विरेन्द्र, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
70. जगदीश तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। मिस्त्री काम करते है।
71. डमरूधर पटेल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
72. नंदलाल यादव, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
73. नारद, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
74. राजकुमारी, पूजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
75. फुलमति, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
76. सुकमति, आमाघाट – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
77. बसंती, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
78. मालती आमाघाट – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
79. सविता देवी, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
80. शांति, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
81. हेमकुवंर, आमाघाट– मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
82. सुनीता, आमाघाट – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
83. सुभद्रा, आमाघट – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
84. बिहान, आमाघाट – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
85. राधिका, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
86. मीना यादव, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

87. संतोष यादव, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
88. हरिमति, सामारूमा –
89. सोना राठिया, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
90. पद्मा, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
91. अंजुदेवी, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
92. अंजु, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
93. प्रमीला, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
94. सुकराम, तुमीडीह –
95. इद्रपाल, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
96. जितेन्द्र कुमार, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
97. सूरज, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
98. मनोज, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
99. राजकुमार, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
100. रमन सिंह, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
101. करन सिंह, तराईमाल –
102. अजीत, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
103. सुनील कुमार, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
104. अखिलेश, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
105. चक्रधर यादव, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
106. शैलेश, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
107. सुमित्रा, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
108. सरोजनी, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
109. रीतादेवी, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
110. सुरेखा, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
111. शखा साव, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
112. केकती लकड़ा, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
113. राजकुमारी सिदार, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
114. सविता, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
115. चौहान, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
116. माधुरी, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
117. सरस्वती, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
118. यशोदा, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
119. पद्मिनी, समारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

120. सुनीता यादव, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
121. शशि चौहान, समारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
122. सरीता, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
123. रामबाई, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
124. कला, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
125. लीलाबाई, समारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
126. चतुर, सामारूमा –
127. चंद्रिका, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
128. पूंजी, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
129. फुलकुमार, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
130. तिहारू, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
131. मंगलु – बहुत सुरक्षा है। रोड में पानी देना, मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
132. मेहता, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
133. देवकुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
134. मनोज कुमार, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
135. सीताराम, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
136. उत्तरा कुमार, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
137. चन्द्रपाल, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
138. अमोश, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
139. मंजीत, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
140. विश्वनाथ, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
141. दीपक कुमार, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
142. कुमारी बाई, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
143. अल्का, सामारूमा –
144. रजनी, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
145. सविता यादव, समारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
146. मोती, तराईमाल– मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
147. सुमित एक्का, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
148. सावित्री चौहान, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
149. मंजु एक्का, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
150. कौशलया बाई, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
151. ललिता, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
152. जयंतीदेवी, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

153. हेम यादव, पूंजीपथरा –
154. आलेन्टीना, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
155. प्रतिभा चौहान, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
156. रतिबाई, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
157. सुमन, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
158. ललिता, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
159. पुष्पा, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
160. लीलाबती, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
161. सोनबाई, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
162. सीदू मंहत, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
163. जस्सी केरकेटा, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
164. जमुना – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
165. चम्पाबाई, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
166. मोंगरा यादव, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
167. योगेन्द्र सिंह, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
168. डी.बी. खलखो, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
169. आलोक, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
170. अनमोल, पूजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
171. कमलेश – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
172. नरेन्द्र, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
173. खिरोधर, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
174. सुनील कुमार – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
175. बिरजुराम, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
176. जुगल किशोर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
177. दीपक, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
178. विद्या निषाद, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। दो दिन ड्यूटी जाते फिर बोल देते है मत आना।
179. शनिराम, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
180. मेतीराम, तराईमाल – नल नहीं हमारा कुछ नहीं है। मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
181. पंचराम, सामारूमा– मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
182. राधेलाल, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
183. चन्द्रपाल, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

184. अनिल चौहान, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

185. अमर सिदार, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

186. श्रद्धा, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

187. टोप्पो, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

188. रानी, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

189. संतोषी, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

190. प्रीती चौहान, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

191. बबीता, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

192. किरण शर्मा, तराईमाल – यहा समर्थन तो सब दे रहे है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम तो यहा सब समर्थन दे ही चुके है। लेकिन जिस तरह समर्थन दे रहे है उस तरह काम भी किया जाये तो मैं मानु। हमारे बाल–बच्चे को नौकरी दिया जाये, पानी की व्यवस्था नहीं है तो पानी की व्यवस्था कराये, गांव में कैम्प लगाया नहीं जाता है प्लांट के तरफ से कैम्प लगाया जाये कोरोना वायरस चल रहा है। वायु प्रदूषण फैला रहा है तो यहा कैम्प लगाया जाये, गुण–चना बटवाया जाये, वृद्धा को सहारा मिले, लोग यहा आकर कुछ भी बोले है, समर्थन बोले है उनको समर्थन का मतलब ही मालुम नहीं है। तो किस चिल के लिये करें। किसी भी महिला को कंपनी की ओर से सहारा नहीं मिला है, क्यों नहीं दिया जाता। महिलाओं को भी काम दिया जाये ताकि वो भी जीवन यापन कर सके। हम समर्थन देने के लिये तैयार है लेकिन कंपनी वाले पुछे तो गांव में आकर कि गांव में समस्या क्या है? कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है गर्मी के कारण तो उसको स्कूल तक पहुचाये। सी.एस.आर. के माध्यम से बहुत सारा काम होता है, पुरा प्रदूषण हो गया है जब हम सुबह उठते है तो खखारते है तो क्या निकलता है, काला डस्ट, बिना गाड़ी के आदमी चल रहा है तो एक्सिडेंट हो जा रहा है, रोड को चौड़ीकरण कीजिए या दूसरा रास्ता बनाइये और पब्लिक के लिये दूसरा रास्ता हो ताकि वो वहा से सुरक्षित आये और जाये। हमारे बात को विशेष ध्यान दीजिए सरजी क्योंकि आप हमारे प्रतिनिधि हो और आप हमारे रक्षक हो। जब रक्षक ही भक्षक बन जायेगा तो क्या होगा। सबसे पहले आप प्लांट में सबको आदेश जारी कीजिए कि गांव में जैसे जिंदल का गाड़ी आता है सबको बीमारी का जांच करता है कि किसको क्या बीमारी है उसको सहयोग करके ले जता है जिंदल और इलाज करवाता है लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है। एक–एक प्लांट वाले थोड़ा–थोड़ा दान कर देते तो पुरा उजाला हो जाता हमारा तराईमाल, पूंजीपथरा, सामारूमा हमारा, जिला, जिला–रायगढ़ भी स्वच्छ हो जाता, लेकिन सरकारी शासन का ही काम नहीं है ये उद्योग का, प्रशासन ही जिम्मेदार नहीं है इसमें। इसमें उद्योगपति का फर्ज बनता है कि हम भी इस काम में सहयोग करें। हरा–भरा छत्तीसगढ़, हरा–भरा तराईमाल था हमारा तराईमाल जो रायगढ़ के लोग आकर पिकनिक मनाते थे। आज हम खुद तराईमाल से जाने को वंचित हो रहे है। प्रदूषण हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए सर मैं समर्थन तो जरूर दूंगी। और जो लग गया है वो उठेगा तो नहीं और बाल–बच्चे जो 12वीं तक पढ़े है उनको भी रोजगार दिया जाये। कम से कम उन लोगो को सहायता हो जाये चोरी–चकारी ना करे। अगर इमानदारी से काम देगा तो इमानदारी से काम क्यों नहीं करेगा। लड़के लोगो का भी सोच है कि मैं 12वीं पास हो चुका हूँ मेरी माँ गरीब है तो

कंपनी उसको ड्यूटी दे, कम से कम ड्यूटी के माध्यम से चाहे पढ़े, चाहे इंजीनियर बने और प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, कलेक्टर बने। यहा छत्तीसगढ़ को सोच है कि कलेक्टर है तो उसका बेटा ही कलेक्टर बनेगा, जो डॉक्टर है उसी का बेटा ही डॉक्टर बनेगा, और जो नेता है उसी का बेटा ही नेता बनेगा ऐसा ही चलता रहे तो भारत माता का क्या होगा। हमारा छत्तीसगढ़ आज देखने से छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ नहीं रहा। महिला लोग पुरे प्रदूषण से सने हुये रहते है। कोई भी कंपनी महिलाओं की समिति नहीं बनाई है उनको काम दिया हो। महिला लोगो का अगर काम दिया जाता अगरबत्ति बनाने का काम है, कही सिलाई करने का काम है उसे समिति बना के कंपनी वाला देता तो क्या होता। किसी चीज में सहयोग नहीं मिलेगा तो एकल महिला क्या करेगी। बी.एस. स्पंज के दरवाजा में देखिये उसी जगह का रोड़ नहीं बना है, रोड़ में पानी नहीं डालता है काम करने वाले काला हो जाते है। आप इस विषय में चर्चा कीजिए। आप महिला लोगो का सपोर्ट करिये हम लोगों का सपोर्ट करिये। मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

193. कविता नायक, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
194. सविता, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
195. फुलमति, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
196. गोमति, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
197. कुजुर, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
198. कुंती, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
199. राधिका, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
200. पिंकी साहू, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
201. कमला, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
202. उमा, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
203. धराई, तराईमाल –
204. सुभद्रा, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
205. लता, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
206. नीता, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
207. सुक, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
208. पूर्णिमा, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
209. सुषमा, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
210. केतवति, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
211. लीला चन्द्रा, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
212. उर्मिला, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
213. दिलीप, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
214. बबीता, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

215. सुनीता, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
216. रामकुमारी, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
217. मुन्द्रोबाई, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
218. तुलसीबाई, छर्राटांगर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
219. श्याम कुमार, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
220. राजु, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
221. राधे, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
222. दिनेश यादव, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
223. मनबोध, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
224. प्रदीप भोय, तुमीडीह – प्लांट के आने से बहुत लोगो को समस्या है, लेकिन प्लांट से फायदा भी है, रोजगार मिल रहा है। हम खेती करेगें तो समस्या है लेकिन खेती करना छोड़ दें। प्लांट है तो हम अच्छा जिंदगी जी पा रहे है।
225. गोपाल, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
226. नीराकार यादव, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
227. शिवा कुमार, सामारूम – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
228. संतोष कुमार, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
229. देवा, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
230. जितेन्द्र कुमार, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
231. संजय यादव, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
232. चमरा मांझी, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
233. कार्तिकराम, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
234. जगतराम, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
235. उचितलाल, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
236. राजेश चौहान, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
237. प्रमोद कुमार, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
238. प्रेमसिंह, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
239. अरविंद, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
240. कृष्ण, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
241. मालती चौहान, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
242. तोमसबाई, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
243. चंदलीबाई, छर्राटांगर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
244. रीना, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
245. श्यामा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

246. धनमति, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
247. रामवती – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
248. रमोना, छर्राटांगर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
249. मालती, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
250. मीरा चौहान, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
251. ललिता चौहान, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
252. प्रीति, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
253. पुष्पा, तराईमाल– मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
254. किरण, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
255. करिश्मा एक्का, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
256. शांति पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
257. गुरबारी – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
258. पदमिनी, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
259. फुलकुंवर, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
260. हसिला, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
261. सुकमति, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
262. पार्वती साहू, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
263. घुरई, तराईमाल– मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
264. रामजग, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
265. सरिता भगत, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
266. सुशीला, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
267. किरण –
268. मनियारो बाई, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
269. जानकी, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
270. जयमनी, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
271. तोषकुंवर, तराईमाल –
272. दयालाल, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
273. मुकेश कुमार, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
274. सुदर्शन, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
275. संतोष – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
276. संदीप, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
277. राजेन्द्र भगत, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
278. चन्द्रशेखर भगत – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

279. आनंद कुमार – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
280. गेंदराम, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
281. शरण कुमार – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
282. आशुप्रसाद, उज्जवलपुर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
283. बलराम सिंह, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
284. गौरी – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
285. संतोष पण्डा, गौरमुडी – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
286. उमेश प्रधान – प्रभावित एरिया के एक भी आदमी विरोध नहीं करता है। मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
287. गणेश, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
288. लेकेश्वर उरांव, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
289. विरेन्द्र सिंह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
290. सुभाष राय, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
291. गुलामन चौहान, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
292. रामदयाल मांझी, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
293. महेशराम, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
294. शत्रुघन, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
295. आशीष तिर्की, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
296. राजकुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
297. गोरेलाल, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
298. अमल, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
299. दयाप्रकाश, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
300. नुतन, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
301. शशिभुषण, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
302. धनेश सिदार – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
303. दुलारी, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
304. सुनारी, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
305. मनियारो, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
306. अनिता पैंकरा, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
307. धनमति, पड़कीपहरी – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
308. नकोसी, पड़कीपहरी – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
309. संजना, पड़कीपहरी – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
310. बसंती, पड़कीपहरी – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

15

311. मालती, पड़कीपहरी –
312. पिंकी यादव, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
313. कुंती, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
314. प्रियंका, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
315. दुखी, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
316. सुमति मांझी, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
317. सरिता, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
318. तीजकुमारी, –
319. यशोदा, तुमीडीह –
320. गंगावती, –
321. बई, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
322. संतो मंहत, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
323. अन्नकुमारी, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
324. आनंद राठिया, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
325. नरेश कुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
326. कृष्णो, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
327. सुभाष गुप्ता, आमाघाट – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
328. ब्रिजेश, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
329. संजय, आमाघाट – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
330. सुरेश कुमार, आमाघाट – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
331. कार्तिकराम, पड़कीपहरी – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
332. आनंदराम, पड़कीपहरी – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
333. जोगीराम, आमाघाट – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
334. भोजराम, पड़कीपहरी – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
335. अमरदास, पड़कीपहरी– मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
336. शीवचरण, पड़कीपहरी – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
337. नरेन्द्र भगत, पड़कीपहरी – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
338. राजेश कुमार, पड़कीपहरी – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
339. गणेश, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
340. अमरलाल, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
341. जग्गा, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
342. रमोदास, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
343. खर्रा जायसवाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

344. गणेश – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
345. अनुबाई, तुमीडीह –
346. मालतीबाई, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
347. गनपति, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
348. जानकी, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
349. सुकमति, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
350. पार्वती, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
351. आशा, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
352. जयावति, पूंजीपथरा –
353. भीममति, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
354. अरूणा, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
355. बिमला, लैलूंगा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
356. रूकमणी यादव, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
357. निर्मला, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
358. आरती यादव, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
359. कुम्मत, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
360. सुनीता, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
361. पुर्णिमा रत्नाकर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
362. सरोजनी पटेल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
363. सरस्वती – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
364. भारती – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
365. गंगोत्री – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
366. नगेन्द्र कुमार तराईमाल –
367. पप्पु, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
368. योगेश, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
369. प्रभु, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
370. ब्रम्हानंद – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
371. शिवशंकर राय – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
372. वैष्णव, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
373. मनोहर, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
374. संजय दास, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
375. मणिदास महंत, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
376. कृष्ण कुमार, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

377. मोहित राम छर्राटांगर,– मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
378. मोनुदास, छर्राटांगर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
379. संत – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
380. राम प्रसाद –
381. धनसिंह पैकरा, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
382. सुरेश कुमार – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
383. लक्ष्मण, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
384. इन्द्रमल, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
385. बाबुराम, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
386. राजु यादव – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
387. नीशकुमार, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
388. यशवंत, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
389. नारद, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
390. हरिराम, घरघोड़ा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
391. मनोज, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
392. रामदयाल, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
393. तेन्सु यादव, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
394. परिवेश कुमार, सराईपाली – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
395. देवनाथ, पूंजीपथरा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
396. प्रभुनारायण, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
397. पवन यादव – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
398. दयानंद, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
399. संतोष कुमार राठिया, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
400. त्रिलोकचन्द्र, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
401. सुरेश कुमार – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
402. राजु कुमार – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
403. मोहन लाल, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
404. मनोज चौधरी, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
405. रामदास – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
406. राजेन्द्र सिंह, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
407. दीपक कुमार – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
408. नीलाम्बर, उज्ज्वलपुर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
409. चन्दन, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

410. नरेश, बड़माल—– मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
411. प्रकाश मालाकार – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
412. सुरेश, उज्जवलुपर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
413. अनंतराय, –
414. शंकर, उज्जवलपुर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
415. राजेश टोप्पो, उज्जवलपुर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
416. अरूण – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
417. जगदीश – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
418. जगदीश – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
419. सदानंद सिदार, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
420. ज्ञानु, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
421. गोपाल, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
422. जयकुमार, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
423. मंगलुराम, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
424. आनंद तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
425. रोशनलाल, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
426. किरीतलाल तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
427. राजकुमार टोप्पो – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
428. महेश्वर, उज्जवलपुर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
429. दयानंद, उज्जवलपुर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
430. राम राठिया, छाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
431. सुषमा चौहान, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
432. तारिका तरंगिनी लकड़ा, ग्राम–पूंजीपथरा – महोदय विषयांतर्गत भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (यथाा संशोधित) की तहत् सर्व संबंधितों को एक स्थानीय समाचार पत्र में अधिसूचना की प्रकाश कर प्रस्तावित परियोजना के 10 कि.मी. के संबंधित 12 में से 06 पंचायतों को सूचना की औपचारिकता केवल खाना पूर्ति की गई है जिसके कारण स्थानीय ग्रामपंचायतों के पदाधिकारी एवं इस परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों तक सूचना ही नहीं पहूंची है या सूचना आपके द्वारा दी ही नहीं गई है। इसलिए यह जनसूनवाई फर्जी प्रक्रिया के माध्यम से सफल बनाए जाने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है। इसे यही स्थगित कीजिए। माँ बंजारी के प्रांगण को इस पाप से दूषित मत कीजिए। निवेदन है कि मेसर्स बी.एस. स्पंज ऑयरन प्रा.लि. ग्राम–तराईमाल, पोस्ट गेरवानी, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित स्टील प्लांट के क्षमता विस्तार के तहत् डी.आर.आई किल्न्स (स्पंज ऑयरन क्षमता–1,80,000 टन प्रतिवर्ष से 6,75,000 टन प्रतिवर्ष) इण्डक्शन फर्नेस विथ मेचिंग एल.आर.एफ. एण्ड सी.सी.एम. (एम.एस. बिलेट्स/गंगाट्स क्षमता–1,20,000 टन प्रतिवर्ष से 5,16,000 टन प्रतिवर्ष) रोलिंग मिल (रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–1,05,000 टन प्रतिवर्ष से 4,35,000 टन प्रतिवर्ष विथ कोल गैसीफायर क्षमता 2x10,000 सामान्य घनमीटर प्रति घंटा, मिनी रोलिंग मिल विथ कोल गैसीफायर

क्षमता–(33,000 टन प्रतिवर्ष्ज्ञ विथ 1x2,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा), न्यू फेरो एलायज यूनिट क्षमता 2x9 एम.व्ही.ए. (फेरो मैग्निज–45,000 टन प्रतिवर्ष/सिलिको मैग्निज–30,000 टन प्रतिवर्ष/फेरो सिलिकांन–15,000 टन प्रतिवर्ष/फेरो क्रोम–30,000 टन प्रतिवर्ष) डब्ल्यू.एच.आर.बी. पॉवर प्लांट 18 मेगावाट से 48 मेगावाट, एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट 4 मेगावाट से 34 मेगावाट, नवीन फ्लाई ऐश ईट निर्माण इकाई क्षमता–80,000 नग प्रतिदिन एवं स्लेग क्रशर तथा बेनिफिकेशन इकाई क्षमता–66,000 टन प्रतिवर्ष के स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु फर्जी जनसुनवाई बाबत् आज बंजारी मंदिर प्रांगण ग्राम–तराईमाल को चयनित किया गया है। जहां आसानी से बाहरी लोगो को लाकर पैसे का लालच देकर, चाय–नाश्ता देकर, मंदिर में भगवान के दर्शन करा कर समर्थन किया जा सके। महोदय पिछली जनसुनवाईयों में भी मैं आपसे पूछ चुकी हूँ कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) क्या है? जिसके तहत् आप यह जनसुनवाई करवा रहे है। अभी 2021 में आप 5 उद्योगों के लिए जनसूनवाई करवा चुके है यह 6वां है। लेकिन आपने आज तक यह सुनिश्चित नहीं किया की आप हमें इसके बारे में जानकारी दें। वर्तमान में हमस ब कोरोना महामारी से संघर्ष कर रहे है। कोरोना वाईरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी समस्त दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन करना भी आप अनिवार्य कर दिए है और आप स्वयं पालन नहीं कर रहे हैं और हमें भी दिशा निर्देश के विपरित कार्य करवा रहे है। एक उद्योगपति के लिए कोरोना काल में आम जनता से बढ़ कर उद्योग विस्तार है और आप उसकी इस गलत मानसिकता में हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लगा रहे है। उस जनता की जिंदगी दांव पर लगा रहे है जिसके टैक्स से आपको यह संवैधानिक पद पर तनख्वाह मिलती है आपकी नौकरी सूनिश्चित होती है। आप सरपंचों को सूचना पहूचाए है ई.आई.ए. अधिसूचना भी दिए है लेकिन आपने उनको बताया है क्या कि इस अधिसूचना में लिखा क्या है तो बुलाइये 6 सरपंचों को बुलाइये वो यही पर बताएं की ई.आई.ए. अधिसूचना क्या है? हमारा पर्यावरण कितना प्रदूषित है और कितना सुरक्षित है? आज सरपंचो को पंचों को बुलाया जाय और वो जो समर्थन कर रहे है इन बाहरी लोगों को लाकर उद्योगों को पर्यावरण की स्वीकृति दिला रहे है उसकी ई.आई.ए. रिपोर्ट सारे सरपंच, उपसरपंच, पंच बताए। जो लोग समर्थन करने आए है वो भी बताए। साथ में ग्रामसभा की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें। उन्होंने इस संबंध में पंचायतों में ग्रामसभा कराई है और कितने लोगों की उपस्थित है। श्रीमान वनमण्डलाधिकारी महोदय, रायगढ्द्य को बी.एस. स्पंज प्राईवेट लिमिटेड द्वारा अवैध वनों की कटाई के संबंध में दिनांक 29.05.2020 को आवेदन दिया गया है आवेदक कन्हाई पटेल ने इस पर कार्यवाही की मांग की तथा यही आवेदन पर्यावरण संरक्षण मण्डल को भी दिया गया है जंगलों की कटाई कर बी.एस. स्पंज प्राईवेट लिमिटेड ने जंगलों पर अपना अवैध कब्जा किया हुआ है, और आज उसी जमीन पर विस्तार एवं स्थापना के लिए यह जनसुनवाई कराई जा रही है। सूचना में आपने यह बताया भी नहीं है कि बी.एस. स्पंज ऑयरन कितनी जमीन पर विस्तार करने के लिये पर्यावरण स्वीकृति लेना चाहता है। और इतने बड़े विस्तार के लिए इन्होंने जमीन कहां से ली है यह स्पष्ट रूप से हमें बताए। यह क्षेत्र हाथियों और बंदरों से प्रभावित क्षेत्र है जंगलों की अवैध कटाई जो बी.एस. स्पंज प्राईवेट लिमिटेड ने की है उससे हाथियों और बंदरों का प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ गया है। फसल को सुरक्षित रखना मुश्किल हो गया है। क्षेत्र के वनीय पक्षी अन्य जानवर विलोपित होते जा रहे है। जल प्रदूषण सभी नाले और नदियां प्रदूषण की चरम सीमा पर है मैं कुरकेट नाले का पानी आज यहां लेक आई हूँ क्या इस पानी से आप चेहरा धो सकते है? क्या आप इस पानी को पी सकते है। पीकर, या चेहरा धोकर बताईये। महोदय क्यों कि तराईमाल में ही 15 उद्योग है, पूंजीपथरा तराईमाल से 4 कि.मी. है जहां 40 उद्योग है गेरवानी 3 कि.मी. है सराईपाली 10 कि.मी. इस

क्षेत्र मे मेरी जानकारी में 8 उद्योग है। कुल 63 उद्योग 10 कि.मी. की दूरी में है इनसे निकलने वाले प्रदूषण का अंदाजा आपको लगा सकते है। पर्यावरण संरक्षण मण्डल स्वयं भी ये निर्णय ले सकता है कि अब और उद्योग यहां होना चाहिए या नहीं। इसके अलावा खदानों में चलने वाली गाड़ियां भी इसी मार्ग से जाती है जो कोयले का डस्ट और सड़कों की खुदाई कर पर्यावरण को प्रभावित करते है। हम हेलमेट ना पहने तो चालान कटाता है, पहन ले तो ज्यादा दूर गाड़ी चला नहीं की डस्ट से कुछ दिखाई नहीं देता। हमारा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है पेसा कानून होते हुए हमारी पंचायत में बाहरी लोगों के विस्तार के लिए सरकार काम कर रही है स्थानीय लोगों को पूछने की जरूरत भी नहीं समझ रही है कागज पर इस फर्जी प्रक्रिया को शो कर सही ठहराया जा रहा है। हमारे लोग इस प्रदूषण की वजह से मर रहे है। सरकार खुद हमे मार रही है। हमे जानकारी तक नहीं दी जा रही है कि इस प्रदूषण से हमें कौन–कौन से नुकसान हो रहे है या आगे होंगे। लोगों की अचानक मृत्यु हो रही है गंभीर बीमारियां नई–नई बीमारियां आ रही है सालों तक चर्म रोगी ठीक नहीं हो रहे है। आखिर सरकार हमें क्यों मारना चाहती है इन उद्योगपतियों के लिए। इन उद्योगपतियों को संपत्ति अर्जन कराने के उद्योश्य से साधारण नागरिकों को मारना यह किस संविधान के तहत् किया जा रहा है। टी.बी., कैंसर, दमा, कोरोना बढ़ता ही जा रहा है। कल की न्यूज है 15388 कोरोना के नए मरिज पाए गए 77 लोगों की मौत हो गई और आपको चिंता है उद्योगों को पर्यावरण प्रदूषण करने की स्वीकृति दिलाने की। आज फिर हमारी जिंदगी का सौदा करने बी.एस. स्पंज प्रा.लि. आया है आज बीचौलिए (पर्यावरण संरक्षण मण्डल, छ.ग. सरकार) बनकर आए है और बी.एस. स्पंज प्रा.लि. में काम करने वाले मजदूरों से हमारा सौदा फिक्स किया जा रहा है बदलें मे इन मजदूरों को चाय–नाश्ता, समोसा, 100–200 रू. दिया जा रहा है। हमे मारा जा रहा है। हमे मारने के लिए तैयार रहना है हम क्या चाहते है ये पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। क्या ऐसा लोकतंत्र में कही भी लिखा है? आपने यहां आने वाले लोगों की पहचान जांच करने की व्यवस्था क्यों नहीं की आज भी। हमारी जिंदगी का सौदा दूसरों से करने का अधिकार आपको किसने दिया। दलाली की चरम सीमा पर है आप। उद्योगों के खिलाफ मुंह खोलने वालों को फर्जी केस में फंसा कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। आज की जनसुनवाई से संबंधित पंचायत सामारूमा में कल की रात पुलिस घर में घुस कर बिस्तर से रात में व्यक्ति को उठा रही है और जुल्म कबुलने को बोल रही थी। गांव के लोग नोटिस की मांग कर रहे है पुलिस नोटिस जारी नहीं कर रही है। मामला 2019 का है 2020 चला गया 2021 है। अगर पुलिस ने उन्हे पकड़ा है तो पेश क्यों नहीं किया? अगर व्यक्ति गलत है तो गांव के लोग उसका साथ क्यों दे रहे है। क्यों नोटिस मांग कर रहे है। तमनार क्षेत्र में ऐसे कई मामले है जिसमें नौजवानों को घर से या सड़क से उठाया जा रहा है 24 घंटे के लिए रिमाण्ड पर रखा जा रहा है। ब्लेंक पेपरों पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं फिर छोड़ा जा रहा है 15 दिन बाद पुलिस फिर बिना नोटिस के हिरासत में ले रही है बताया जाता है कि उक्त व्यक्ति ने स्वयं लिखित कबूल किया की उसने फलानी वारदात को अन्जाम दिया है। नौजवान पीढ़ी जो भविष्य है भारत का उसे जेल में माह भर बंद करके छोड़ा जाता है। ना तो वो ये जानता है कि उसने किस तरह किस वारदात को अन्जाम दिया है। जा ही वो ये जानता है कि उसका शिकायतकर्ता कौन है, नहीं वो ये जानता है कि उसके लिए लड़ने वाला व्यक्ति कौन है ना ही उसे ये पता है कि उसकी जमानत किसने ली है? ये उद्योगों द्वारा हमारे सामाजिक पर्यावरण को भयपूर्ण बनाने का षड़यंत्र है। नवजवान पीढ़ी को डरपोक बनाने का षड़यंत्र है। उद्योगों द्वारा हमारे लोगों को नौकरी नहीं दी जाती है अगर दी जाती तो आज इन्हे चाय–नाश्ता 100–200 रू. दे कर भाड़े के समर्थक लाने की आवश्यकता नहीं होती। जनसुनवाई के नियम के विपरित आज फिर धार्मिक स्थल पर ही आयोजन किया गया है। क्योंकि आप अपनी ड्यूटी से नहीं बी.

एस. स्पंज ऑयरन की रिश्वत से बंधे है। आपको इसके मालिक ने जो जानकारी दी उसका एनालिसिस करना आपके विभाग की भी जिम्मेदारी है। इन्होंने 6 पंचायत प्रभावित बताया आपने मान लिया और 6 पंचायतों को नोटिस दिया 6 पंचायतों को नोटिस आपने नहीं दिया। आप मेरे सवालों का जवाब अगर आज लाए है तो बताईये आपने पिछली सभी जनसुवाईयों में मुझसे कहा है कि आप जवाब देंगे। आपने कितनी ग्रामसभाओं से आज जनसुनवाई के लिए चर्चा की है या उनसे अनुमति ली है। आपने कितनी ग्रामसभाओं से आज जनसुनवाई में आने से पहले उद्योग विस्तार के फायदे और नुकसान बताए है? प्रदूषण का माप वर्तमान में हमारे क्षेत्र में क्या है? ई.आई.ए. रिपोर्ट से कितने लोगों को अवगत कराया है? कितने लोगों को बी.एस. स्पंज प्रा.लि. ने रोजगार आज तक दिया है? संबंधित पंचायतों से? प्रभावित व्यक्तियों या पंचायत वासियों की पहचान के लिए आपने व्यवस्था क्यों नहीं बनाई? दूसरे बाहरी व्यक्तियों से आप हमारी सांसो का सौदा क्यों कर रहे है? इसके पीछे आपकी क्या मजबूरी है? अनुबंध के आधार पर बी.एस. प्रा.लि. ने अब तक संबंधित पंचायतों में कितने प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगवाए है? अनुबंध के आधार पर कितने पंचायतों में बी.एस. स्पंज प्रा.लि. ने स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था की है हमारे स्वास्थ्य जांच के लिए तो आज तक कोई नहीं आया? अनुबंध के आधार पर संबंधित पंचायतों में बी.एस. स्पंज प्रा.लि. ने कितने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की है? अनुबंध के आधार पर हाथी और बंदरो से होने वाले फसल नुकसान को बचाने के लिए बी.एस. स्पंज प्रा.लि. ने क्या किया है? अनुबंध के आधार पर बी.एस. स्पंज प्रा.लि. ने सी.एस.आर. का उपयोग संबंधित पंचायतों में कितना किया है? सड़कों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बी.एस. स्पंज प्रा.लि. ने क्या किया? जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए बी.एस. स्पंज प्रा.लि. ने क्या किया है? जब ये कंपनी पूर्व से ही स्थापित है और अनुबंध पर फेल है तो इन्हे फिर नए प्रोजेक्ट के लिए अनुमति क्यों दिलाई जा रही है? आपने इस कंपनी से मेरे, मेरे परिवार, मेरी पंचायत और सभी संबंधित पंचायतों के भविष्य के लिए बी.एस. स्पंज प्रा.लि. से होने वाले नुकसान की भरपाई के संबंध में क्या तय किया है? इनसे हमे गंभीर बीमारियां आ रही है हमारी मौते हो नहीं है। हमे ये उद्योग इसके बदले में क्या देगा। कितने रूपयों में हमारा सौदा आपने फिक्स किया है? यहां भाड़े में लाए गए 400--500 लोगों से इस जनसुनवाई को सफल बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है और दलाली संवैधानिक पदों पर बैठे लोग कर रहे है शर्म नहीं आती आप लोगों को लोकतंत्र की हत्या करते हुये। यहां सामारूमा पंचायत के फर्जी सरपंच के माध्यम से पूंजीपथरा के फर्जी समर्थक लाए जाते है। इसलिए आपकी सूचना का प्रसार नहीं किया जाता है। इन फर्जी उद्योगों को फर्जी जनसुनवाई के माध्यम से पर्यावरण की स्वीकृति दिलाई जा रही है। यह अपराध सरकार पर्यावरण संरक्षण मण्डल छ.ग. के माध्यम से खुलेआम रायगढ़--रांची रोड पर स्थित बंजारी मंदिर प्रांगण में पुलिस संरक्षण में एन.एच. 49 पर कर रही है। यह लोकतंत्र की हत्या है। संविधान के विरूद्ध है इसे यही रोका जाए। मैं तारिका तरंगनी संघर्ष इसका विरोध करती हूँ इसे रद्द करने की मांग करती हूँ।

433. कस्तुरी, गुप्ता , उज्जवलपुर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
434. सविता – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
435. दुरपति – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
436. दियाबाई, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
437. लक्ष्मी, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
438. पायल, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
439. पुष्पाबाई – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

440. मुरारी, उज्जवलपुर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
441. ईश्वरी चौहान, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
442. उमा, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
443. आरती, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
444. आंचल, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
445. अनुजा, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
446. दर्शिला, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
447. फुलबाई, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
448. तिलोत्मा, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
449. सुभाषिनी चौहान – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
450. गीता, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
451. चैतन, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
452. भुनेश्वर राम, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
453. शेखर नागवंशी, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
454. अमजत, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
455. अजय कुमार, उज्जवलपुर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
456. मंगलाल, उज्जवलपुर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
457. संतोष, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
458. शेखर, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
459. खिलेश्वर, उज्जवलुपर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
460. अजित, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
461. विजय राम – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
462. शिव – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
463. सत्येन्द्र, भिलाई – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
464. बुधराम, तुमीडीह –
465. नरोत्तम, घरघोड़ा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
466. सूरज – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
467. नायकराम, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
468. त्रिलोचन सिदार, गौरमुड़ी – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। ऐसा 10 कम्पनी हो।
469. योगन – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
470. दिनदयाल मालाकार – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
471. शंकर यादव – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
472. गजाराम, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

473. सरोज –
474. दिलीप कुमार, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
475. शिव कुमार – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
476. जितेन्द्र – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
477. विमल साहू, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
478. मनोज कुमार – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
479. तेजप्रताप सिंह, उज्जवलपुर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
480. धनंजय कुमार – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
481. राजेश पटेल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
482. जय प्रसाद साहू – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
483. उदय प्रकाश, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
484. पिन्टु, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
485. अजय सिंह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
486. दिनेश – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
487. कन्हैया, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
488. विजय प्रकाश, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
489. मानसिंह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
490. अनिल, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
491. मनोज कुमार, तराईमल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
492. नरेन्द्र कुमार – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
493. आनंद कुमार, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
494. कैलाश साहू, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
495. नामदेव – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
496. गेवेश, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
497. महेश – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
498. गजेन्द्र कुमार, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
499. पवन, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
500. खिरोद कुमार – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
501. पंकज चौहान, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
502. भैरव प्रसाद, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
503. नरेन्द्र, उज्जवलपुर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
504. अरूण कुमार, उज्जवलपुर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
505. गीता, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

506. सुशील कुमार – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

507. राधेश्याम – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

508. सुधयार, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

509. अमित बरेठ, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

510. दिलीप, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

511. निजन, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

512. संतोष – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

513. सुरेन्द्र कुमार, सराईपाली – आज कंपनियो का विस्तार का जनसुनवाई हो रहा है, वह उसी ग्राम पंचायत में ताकी ग्रामवासी उसे समज सकें। उस विषय को हम विस्तृत रूप से जान सके। मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

514. दानीराम, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

515. सविता रथ, जन चेतना मंच, रायगढ़ – आदरणीय आज इस लोकसुनवाई में ई.आईए. एवं सोसल इंपेक्ट रिपोर्ट इसमें से मैं आपको ध्यानाकर्षण कराना चाहती हूँ इस ई.आई.ए. के माध्यम से इस रिपोर्ट के माध्यम से कि यह कंपनी किस तरीके से मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राईवेट लिमिटेड, तराईमाल की क्षमता विस्तार के तहत जो हम यहा स्पंज ऑयरन क्षमता का यहा पर इण्डक्शन फर्नेस विथ मेचिंग एलआरएफ एण्ड सीसीएम इंगाट्स क्षमता इन तमाम चिजो की जो जनसुनवाई यहा की अनुमति दी इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु यहा पर इ. आई.ए. से संबंधित आपका ध्यानाकर्षण कराना चाहती हूँ। इसमें आपको बता दू कि मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राईवेट लिमिटेड की आयोजित होने वाली इस जनसुनवाई में कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दु आये हुये है जिस आधार पे कही ना कही ई.आई.ए. का कॉपी–पेस्ट किया गया है। और यह कितने सारे ई.आई.ए. को चेंज करने बनाया गया है तो इसका डेटा और आंकड़े भी देख कर आपको लगता है कि इस जनसुनवाई का कोई औचित्य नहीं है जब तक सही आंकड़े हमारे पास नहीं है। आपका ध्यानाकर्षण कराने के लिये कुछ आपके पीछे जो अभी तक जनुसनवाई हो चुकी है उसमें से लगभग मैं छः ई.आई.ए. का आपको ध्यानाकर्षण करा दूं सर इस ई.आए. में 12 नवम्बर 2013 को नलवा स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का एक जनसुनवाई हुआ था। इसमें एक परिक्षेत्र का जो उल्लेख है इसमें 10 कि.मी. के रेडियस में माना है कि हमारे यहा इस पूंजीपथरा औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 70 छोटे–बड़े उद्योग वर्तमान में स्थापित है। वही पर हम देखे कि पूंजीपथरा इण्डस्ट्रीयल पार्क में यहा जो जनसुनवाई कि ई.आई.ए. बनी उसमें रिजर्व फारेस्ट की जानकारी क्यों नहीं है और यहा केवल हाथी है यह माना गया है। यहा 70 उद्योग की बात स्वीकारता है 2013 में 08 साल बाद 30 उद्योग दर्ज है इसका इनवायरो लेबोरेटरी एण्ड कन्सलटेंट लिमिटेड हैदराबाद के ई.आई.ए. के आधार पे ये 10 कि.मी. के रेडियस के अंदर के डेटा है। वहीं पर 03 मार्च 2021 की हम बात करें तो आरक्षित वनों की संख्या केवल 08 रह जाती है तो यह भयावह आंकड़ा आपके सामने दर्शाता है। यही इनका यह मानना है कि यहा 30 उद्योग है आपको बता दूं कि सर यहा जो 05 मार्च की जनसुनवाई हुई वह 14 वन क्षेत्र की बात करता है और 31 उद्योग उन्होने दर्शाया है। वहीं हम देखे कि आज का जो ई.आई.ए. है इन्होने अपने ई.आई.ए. में 09 वन क्षेत्र माना है और केवल 15 उद्योग माना है। इसके अलावा हम देखे कि 2017 में हम देखे की इसमें 05 वन क्षेत्र की बात कर रहे है इसी परिक्षेत्र में एक उद्योग जिसका मैं सदन में नाम लेना पसंद नहीं करूंग। उनका यह कहना था कि यहा भोकने वाले हिरण ये 05 वन क्षेत्र के जंगल में पाये जाते है। तो

दूनिया के कौन से डिसकव्हरी चैनल को पता नहीं है कि यहा भोकने वाले हिरण भी पाये जाते है। 2017 की जनसुनवाई में ई.आई.ए. बनी हुई है उसमें बताया गया था इसमें केवल 06 उद्योग की बात कहा गया था 10 कि.मी. की रेडियस में जिसका ई.आई.ए. बनाने वाले कंसलटेंट थे वो एनाकॉल लेबोरेटरी, नागपुर के। ठीक तरीके से ये ई.आई.ए. का एक ही पेज में अगर आप देखे तो हम छः ई.आई.ए. की बात बोल रहे है। छः ई.आई.ए. में कही भी आंकड़ा और डेटा में विश्वसनियता नहीं है तो जब तक ई.आई.ए. का और इस पुरे क्षेत्र के भौगोलिक, सामाजिक, पर्यावरणीय परिस्थितियों का एक विश्वसनियता से सरकार के द्वारा सार्वजनिक नहीं किया जाये आज तक के अनुसूची पेशा क्षेत्र में तो उस जनसुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। समर्थन और विरोध के किस बात लिये जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार जनसुनवाई की नौटंकी करवाने के लिये उस जनसुनवाई का कोई औचित्य नहीं है जब पुरा दस्तावेज और डेटा एकदम से लोगो को बहकाने वाला हो उस जनसुनवाई का लोगो को पता नहीं है ना ही 10 कि.मी. के रेडियस तक ई.आई.ए. गया, स्थानिय भाषा में उनको समझाया नहीं गया, ना ही उनको किसी भी विषय पर बताया गया ना ही उनके अधिकारो के ऊपर, ना इस ई.आई.ए. के ऊपर, ना ही किसी किसम का बहस नहीं हुआ है तो ऐसे जनसुनवाईयों को आयोजित कर के देश की जनता के पैसे को नुकशान करने के बजाय हम इस कोरोना काल में महामारी का देख करें एक विश्वसनियता के रूप में एक टीम तैयार करें और भौगोलिक स्थित का आकलन करें किसी एक्सपर्ट से सवाल करे इसके बाद ऐसे आयोजनों को हमको कराना चाहिए। वहीं पे हम देखे तो जिस तरीके से आप जनसुनवाईयों में जिला बल जिस तरीके से लगा हुआ है जिस प्रकार जिला प्रशासन, कलेक्ट्रेड से लेकर के स्थानिय कर्मचारियों का सबकी ताकत इस जनसुनवाईयों में लगी है और ऐसे स्थिति में आप फर्जी आंकड़े की बात करते है नकली बाते करने की बात आती है, ई.आई.ए. भी पुरी तरीके से फर्जी है, चुंकि यह विस्तार का मामला है तो यह जो ई.आई.ए. बनाया गया है ये पूर्व के स्थापना के मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राईवेट लिमिटेड के ठीक आकड़ो को इसमें नहीं डाला गया है तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे फर्जी जनसुनवाईयों के क्यों हम काम करे, क्यों हमारे सरकार के लोग काम करे, क्यों ना ऐसे फर्जी ई.आई.ए. के लिये एफ.आई.आर. दर्ज कराया जावे। बिलकुल भी ऐसे जनसुनवाईयों में मानव संसाधन है, आर्थिक संसाधन है, देश का समय आप जैसे अधिकारियों का समय खराब करने का अधिकार कंपनी को नहीं होना चाहिए। बहुत बुरा लगता है जब हमारे जिला प्रशासन नयाय आकर बैठते है और जिस तरीके से फर्जी लोग कंपनियों से डेटा लेकर बता रहे है। लेकिन इसमें किसी भी किसम का तात्कालिक डेटा जो आपके क्षेत्राधिकार में आता है तत्काल आप इसका पर्यावरण रद्द कर दीजिए। इस जनसुनवाई का कोई महत्व नहीं है। वही सर हम देखे तो ई.आई.ए. की तमाम चिजो को तो इस फर्जी ई.आई.ए. में जो लोगो से सलाह लेने की बात यह पूर्ण क्षेत्र जो है पूण रूप से पेशा अनुसूची 05 क्षेत्र में आता है। यहा 10 कि.मी. के रेडियस के अंदर आठो दिशाओं से यहा ग्रामसभा की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। उस अनुमती की कार्यवाही की प्रति नहीं लगा हुआ है पेशा कानुन के तहत्। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पेशा कानुन क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण यहां जितने भी आगंबाड़ी है उनका डाटा इसमें नहीं डाला गया है। ये क्षमता विस्तार में पानी कहा से लायेगें। इसका कार्य भू-गर्भ से होगा। पूर्व में इनका कितना बोर है कहीं जांच कमेटी बनी है, यां जांच हुई है। फ्लाई ऐश से ईंटा बनायेगें बोल रहे तो पूर्व में इनके द्वारा फ्लाई ऐश के कितने ईट बनाये और कहां भेजा गया। इस कहीं फ्लाई एश डाईक नहीं है। 10 कि.मी. परिधि में जल/वायु ध्वनि प्रदूषि हेतु बेस लाईन डाटा बनाया जायेगा। पेज नं. 14 में इन्होने दर्शित किया है किभू-जल की गुणवता यहां की बहुत अच्छा है और लेंगें। कंपनी का कहना है कि प्रस्तावित संयंत्र के निर्माण में रोजगार के अवसर बनेगें, सामाजिक आर्थिक स्थिति

में अच्छे प्रभावन पड़गें, स्वास्थ्य जांच की आकड़े प्रस्तावित है। वायु प्रदूषण नियंत्रण पर काम रेंगें कहा पर कर नहीं रहें। 6000 नग वृक्षारोपण करेगें। रायगढ़ वनमण्डल 2021 से 2030 तक कार्य योजना बनाया है जिसमें पूंजीपथरा में 11029.06 साल एवं मिश्रित वन घोषित किया गया है। वनो के जिस तरह से नुकसान हो रहे है और वनमण्डल ये माना है। भू–गर्भ जल की स्थिति बहुत दयनीय है जिसे वनमण्डल द्वारा बताया गया है, तो ऐसे फर्जी जनसुनवाई की आवश्यकता है। ई.आई.ए. में कही. जंगल गायब, कही जीव जन्तु गायब है, कही गांव गायब है, यहां की भौगोलिक आकड़े गायब है तो ये जन सुनवाई को स्थिगित की इस क्षेत्र वनो की स्थिति, जल/वायु की स्थिति, भु–गर्भ की स्थिति की जांच कराये फिर जन सुनवाई का आयोजन करें। मैं इस जन सुनवाई का विरोध करती हूँ।

516. पदमा यादव, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
517. अपर्ण भगत – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
518. अजंना, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
519. कोमल साहू, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
520. केशव, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
521. विजय कुमार, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
522. विजय, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
523. दीपक कुमार – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
524. ओमकार साहू, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
525. नाकेर, उज्जवलपुर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
526. समीर, उज्जवलपुर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
527. संजीत सिदार – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
528. समारू सिदार, गौरमुड़ी – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
529. सरदान सिदार, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
530. सुरेश, गौरमुड़ी – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
531. सीताराम, गौरमुड़ी – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
532. विनोद कुमार, सर्व आदिवासी समाज– मै बी.एस.स्पंज का विरोध करने आया हूँ। यह जनसुनवाई बंजारी प्रांगण में नहीं हो सकता। किसी को फोर्स करके आप नहीं ला सकतें। यहां मिठाई कोल्ड्रीन बाटा जा रहा है ये नहीं होना चाहिए? ग्राम सभा की अनुमति ली गई है या नहीं? जन सुनवाई बिना ग्रामसभा की अनुमति के नहीं हो सकती है। स्थानीय प्रभावित लोगो को मुआवजा दिया गया है कि नहीं? पहले से रायगढ़ जिला प्रदूषण का मार झेल रहा है, जल/वायु दूषित हो रहे है, जंगल जमीन जन्तु समाप्त हो रहे है। स्थानीय लोगो के उपचार के लिये अस्पतालों की व्यवस्था की गई है क्या? स्थानीय लोगो के शिक्षा की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था की गई है? रायगढ़ से पूंजीपथरा आने जाने की की क्या व्यवस्था की गई है? यह जन सुनवाई का मैं विरोध करता हूँ।
533. धरमलाल, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

534. राजेश त्रिपाठी, जन चेतना मंच, रायगढ़ – जनवरी से लेकर अभी 2021 तक ये छठवी जनसुनवाई है और अच्छी बात यह है कि जो सभी जनसुनवाईयां यहीं हुई है, प्लांट भी जो 02–03 कि.मी. के रेडियस में है, सभी जनसुनवाईयों की ई.आई.ए. भी बनी है और अच्छी बात यह है कि लगभग सभी ई.आई.ए. हमारे रेड्डी साहब ने बनाये है, हमारा यह मानना है कि उद्योग लगे, उद्योग लगना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, देश आत्मनिर्भर होना चाहिए, परन्तु ये सरकार के पर्यावरणी मापदण्ड है पहली बात यह है कि उनका पालन हो, दुसरा कोराना काल में हमने लगभग देखा कि रायगढ़ जिले अंदर लोग जो पलायन करके काम करने जाते है वो कोरोना काल में वापस आये तो उद्योग स्थापित होता है तो स्थानिय लोगों को रोजगार हमारे जो युवा है युवतियां है पढ़े–लिखे नौजवान लोग है उनको स्थानिय लोगो को रोजगार मिलना चाहिए। सर जो हम ई.आई.ए. का अध्ययन कर रहे है तो कई लोग मेरे से बोलते थे कि आप क्या बोलने जा रहे है। मै यह कहता हूँ कि एक ही जगत उद्योग स्थापित है एक ही प्रभावित गांव है, एक ही जगह के लोग है तो निश्चित तौर पर जो सुझाव होगा वह एक ही होगा। जब मै ई.आई.ए. का अध्ययन कर रहा था तो एक अध्ययन पर पर्यावरणीय डाटा आपके तीनो चारो ई.आई.ए. में है परसो मैं उस बात को रखा भी था। यहा के रायगढ़ जिले का पर्यावरणीय अध्ययन और हमारा पर्यावरण यह कहता है कि और ज्यादा उद्योग लगना चाहिए और यहा विस्तार होना चाहिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर हमारे रायगढ़ जिले का अध्ययन तो हो जाये। जब केन्द्रीय पालुशन बोर्ड भोपाल ने रायगढ़ जिले का अध्ययन किया ये जो एस.एस.पी.एम. मानक होता है उस मानक का अध्ययन हुआ तो हमारे रायगढ़ जिले का जो पर्यावरण कार्यालय वहा अधिकतम पाया गया 516 और न्यूनतम पाया गया 400 हॉटल श्रेष्ठा में एक मशीन लगा के वहा अध्ययन किया गया वहा का मानक पाया गया 601 अधिकतम न्यूनतम 400, औद्योगिक पार्क पूंजीपथरा, अधिकतम 1123 न्यूनतम 400, जिंदल स्टील पता नहीं यहा का क्यो 298 और 400 और तराईमाल जो मै यहा खड़ा हूँ यहा का अध्ययन रिपोर्ट बता रहा है 1109 अधिकतम पहुचा यह डाटा आप गुगल में सर्च करिये मेरे किसी मंच में झुठ बोलने की आदत नहीं है, मै तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ। और मै यह कहता हूँ कि जो पर्यावरण पर दुषप्रभाव पड़ेगा वो करोड़ो का होगा गरीब और अमीर से मजदुर और किसान य नहीं देखेगा। इसके परिणाम से हम सभी प्रभावित होंगे। और दुषप्रभाव के आंकलन को हम सब मिलकर कैसे बेहतर कर सकते है और मुझे लगता है कि रायगढ़ के उद्योगपतियों को भी, प्रशासन को भी और रायगढ़ के जनप्रतिनिधियों को सब को बैठ कर विचार करने की जरूरत है और हमे पर्यावरण की संरक्षण की दिशा में काम करना होगा तभी हमारी आने वाली नश्ले है रायगढ़ में सुरक्षित होगी। सर ये जो ई.आई.ए. बनी है और अभी 06 बनी है और जनसुनवाईया हुई है उनमें से आपके द्वारा अधिकतम ई.आई.ए. बनाई गई है और यही जनसुनवाई हुई है। इ.आई.एम. में जो ग्रामो के डाटा है वो 83, 46 है और जो बी. एस. की ई.आई.ए. है इसमें केवल 36 है। उसमे 46 और इसमें 36 है तो हम यह मान ले कि ये ई.आई.ए. गलत है या आपके द्वारा पहले बनाई गई है जिसकी जनसुनवाई हुई है उसकी ई.आई.ए. गलत है। कही ना कही तो कुछ चल रहा है और इस अध्ययन के रवैये में जो देते है। अभी 02 तारीख को सिलिकोसिस से एक सराईपाली ग्रामपंचायत में मरीज मिले है। इस ई.आई.ए. में कही भी नहीं लिखा है कि हमारे इस क्षेत्र में सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी हुई है और इससे 11 लोग मारे गये है जिसमें से 07 महिला है।

और वो सिलिकोसिस ला–इलाज है। जैसा की कंपनी ई.आई.ए. में कहता है कि हम स्वास्थ्य परिक्षण करेंगे। मेरा यह मानना है कि हम लोगो का उद्योग स्थापित होने से पहले स्वास्थ्य परिक्षण होना चाहिए और सभी इकट्ठे होकर साल में 01 या 02 बार स्वास्थ्य परिक्षण करे तो उससे य पता चलेगा कि यहा के वातावरण में लोगो के रहने का किस प्रकार दुषप्रभाव पड़ रहा है। जो अध्ययन करते है और मैं हमेशा इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ आज हमारी वही सड़के 1991 की है। आपकी ई.आई.ए. के मुताबिक जो कोयला आयेगा मैने इस आंकड़े का अध्ययन किया है कि साल में आपको कितनी गाड़ी लगेगी तो लगभग 3006 ट्रक आपको लगेगा कोयला ढोने के लिये। एक दिन में जो होगा आपको 105 ट्रक कोयला लाना होगा ये आपके खपत की मात्रा है। फिर आप स्पंज ऑयरन लायेंगे, फिर निर्माण होगा, फिर उसको बाजार में लेके बेचेंगे तो यदि हम के कि आपका जो ट्रांसपोर्टींग सिस्टम होगा वह 500 ट्रक का होगा। यानि हमारे सड़को पे 500 ट्रको का और प्रभाव पड़ेगा। तो क्या पहले यह हो जाना चाहिए कि रायगढ़ जिले में 4लेन सड़क हाना चाहिए जिसमें 35 टन के ट्रक चल सके। कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो हमारा ऑयरन ओर आयेगा, ये जो हमारा कोयला आयेगा फिर हम उसको बेचेंगे तो जायेगा कही ना कही और वह सड़को के माध्यम से जायेगा यानी सड़क के माध्यम से हमारे क्षेत्र में प्रदूषण की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी। सर आपने ई. आई.ए. में लिखा है कि 80000 टन फ्लाई ऐश निकलेगा हमारे जिले में जो कोयला है रायगढ़ जिले का वो उसका ग्रेड 11 होता है, जिसमें लगभग 70 प्रतिशत फ्लाई ऐश निकलता है। साउथ अफ्रिका का जो कोयला आता है उसमें लगभग 45 प्रतिशत फ्लाई ऐश निकलता है और जो कोयले जो ईटा बनायेंगे लगभग 80000 टी.पी.ए. बनायेंगे और ई.आई.ए. में नहीं लिखा है कि ईटे कौन बनायेगा। कंपनी बानायेगी कि गांव के लोग बनायेंगे कि कहा बनेगा ईटा और ये फ्लाई ऐश निस्तारण कैसे होगा जो कि इसमें कही ऐश डाईक का शब्द नहीं लिखा है कि हमारा उत्पादन जो फ्लाई ऐश का होगा उसका हम निस्तार कैसे करेंगे। जो कि एन.जी.टी. का आदेश जो फिछले महिने का है फरवरी का, एन.जी.टी. ने साफ कहा है कि आप फ्लाई ऐश को ऐश डाईक के अलावा कही भी नहीं डाल सकते। तो ये फ्लाई ऐश हम कहा रखेंगे। इसका निस्तार कैसे होगा इस पर भी कंपनी को विचार करना चाहिए प्रशासन को भी विचार करना चाहिए। जब ये प्रोडक्शन चालु होगा तो लगभग 450 लोगो को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जमीन कितनी जायेगी लगभग 32–33 हेक्टेयर 33 प्रतिशत अब आप वृक्षारोपण करेंगे तो कंपनी 10 सालो से चल रही है उसको वृक्षारोपण को पहले से करना चाहिए। जो बी.एस. कंपनी है 03 तरफ से सड़क है यदी यह मान ले सड़क के उस पार का तो बी.एस. कंपनी वन विभाग की जो रियल फारेस्ट है उससे चारो तरफ घिरी हुई है। तो उसका जो दुषप्रभाव पड़ता है वो सीधा–सीधा हमारे वनों पर पड़ता है यदि हमव न विभागों की रिपोर्टो का अध्ययन करे, अवलोकन करे तो निश्चित तौर पर यह देखा गया है कि केन्द्रीय वन पर्यावरण की टीम एक साल रायगढ़ में आयी थी 2015 में उनकी रिपोर्ट के मुताबिक रायगढ़ जिले का 300 कि.मी. जंगल जो है वह खत्म हो गया है अगर आप देखेंगे तो मेरे पास रिपोर्ट है तो अगर वो जंगल खत्म हो गया है फिर करोड़ो रूपये आप जंगलो के संरक्षण के लिये भी मांग रहे हो। यह बात हम किसी इसी कंपनी की बात नही कर रहे है। वह रेल्वे में हुआ, डेम में खत्म हुआ पॉवर प्लांट में हुआ, स्पंज ऑयरन प्लांट में हुआ तो उसको हम कैसे संरक्षित कर सकते है यह एक चिंता का विषय है। सर एक एयरवेदा की वेबसाईट है आप

(29)

गुगल में सर्च कर देखित अभी मै 02 मिनट पहले देख रहा था तराईमाल 256 बता रहा है पी.एम.2.10 और मै अभी यह देख रहा था कि रायगढ़ हमारी ऑल इंडिया किसी रैंकिंग में हम प्रदूषण में है। सर 13वें नंबर में मैं अभी यहा खड़ा हूँ 05 मीनट पहले। ऑल इंडिया रैंकिंग में प्रदूषण के मामले में यहा मैं तराईमाल में खड़ा हूँ अभी हम 13वें नंबर पर है और आप कहते है कि सामान्य से कम प्रदूषण है। आखीर हम झुठ किसके लिये बोल रहे है सर। मेरा हमेशा यह प्रश्न रहा कि पैसा आखरी परिवार के सुख–सुविधाओं के लिये है इकट्ठा करना चाहते है पैसा हमारे समाज के लिये, देश के विकास के लिये इकट्ठा करना चाहते है परन्तु हम समाज को दाव में लगा कर हम क्या पैसा इकट्ठा करना चाहेंगे। और तथ्य भी यही है कि जब हम आपके कागजो का अध्ययन करते है वही आदमी ई.आई.ए. बनाने वाला, वही 43 गांव की ई.आई.ए. बननी वाली, और उसी में आकड़े मै अभी रखा हूँ यही आप क्रास चेक करना चाहेंगे तो सभी 06 ई.आई.ए. लेकर आया हूँ। कि 06 में से सौभाग्य से 04 आपने बनाई है और चारो के ई.आई.ए. के आंकड़े सर डाटा अलग–अलग हो तो फिर प्रश्न यह उठता है कि कौन सी ई.आई.ए. सही है किस ई.आई.ए. पर मैं बात करू और किस ई.आई.ए. पर अध्ययन हो। दूसरी बात ये बोलते है कि हम अध्ययन करते है तो मैं पहले भी बाला था कि हम किसी गांव का पानी का सैम्पल लेते है क्या उस गांव में चौकीदार, सरपंच, उपसरपंच, रोजगार सहायक ऐसे सरकार के 10 नुमाईदे है। क्या हम उससे वेरीफाई करते है कि आपके इस गांव का, इस कुआ का, इस नाले का, इस तालाब का हम सैम्पल ले रहे है आप इसमें हस्ताक्षर करीये और यह गवाह बनिये कि हम इसको सैम्पलिंग करेंगे इसका जो डाटा निकालेंगे। हम वह करते नहीं है पुरी ई.आई. ए. के अंदर एक भी आंगनबाड़ी जो भी यहा के बच्चे काफी ज्यादा प्रदूषण से प्रभावित हो रहे है, यहा की जो स्तनधारी जीव है आपको बता दू कि लगभग 46 प्रतिशत गाय और बकरी बच्चे नहीं डाल रही है सर प्रदूषण की वजह से। यहा एक बीमारी सर नयी आई है बच्चे खेलते–खेलते बेहोस हो जा रहे है और जब यहा के हासपिटल में ले जाया गया उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया उनके यहा ब्रेन में ब्लड के थक्के जमा हो जाते है और जब यहा के डॉक्टर से मरी बात हुई मिश्रा साहब है जिसके छोटे भाई चिफ जस्टीस बिलासपुर हाईकोर्ट में है, प्रदूषण की वजह से ब्रेन की जो नशे है उसमें थक्के जमा हो रहे है ब्लड के थक्के। परन्तु इनका अध्ययन नहीं है कभी स्वास्थ्य परीक्षण विशेसज्ञो द्वारा हुआ नहीं जाता है कभी प्रदूषण के मापदण्ड को निर्धारित करते नहीं और हमको दिनप्रतिदिन लगता है कि रेड्डी साहब आपको ई.आई.ए. बनाने का 10–15 लाख मिल जायेगा। कंपनी की अच्छी–खासी इंकम तैयार हो जायेगी और मेरा बुनियादी सवाल यही है कि हम किस तरह से लोगो की जिंदगी को दाव में कब तक लगाते रहेंगे। कल का आपने विधानसभा प्रश्न देखा होगा कि हमारे रायगढ़ विधानसभा के विधायक प्रकाश नायक जी ने विधानसभा प्रश्न किया था सौभाग्य से वह विधानसभा प्रश्न भी हमी ने बनाया था तीन विधायको का मैं बनाता हूँ। पर्यावरण के मुद्दे विधानसभा में प्रश्न आया था 371 छोट–बड़े उद्योग स्थापित है रायगढ़ जिले के अंदर पर्यावरण विभाग के द्वारा केवल 01 साल के अंदर 158 उद्योगो का निरीक्षण किया गया, यह मै नहीं बोल रहा हूँ विधानसभा प्रश्न के अंदर मोहम्मद अखबर जो पर्यावरण मंत्री है ये उनका जवाब है उन्होने कहा की रायगढ़ जिले के अंदर एक भी डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगा है जहा हम यह आंकड़े देख सके कि पी.एम. 10 की मात्रा कितनी है पी.एम. 2.5 की मात्रा कितनी है, कार्बन कितना है, फास्फोरस कितना है जो हवा उड़ने वाले तत्त्व

है उन्होने खुद स्वीकार किया सेन्ट्रल गवर्नमेंट से 03 आपके रिपोर्ट बोल रहे है सर सेंसन है पर्यावरण विभाग ने 215 में गवर्नमेंट को लिख दिया कि हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है और डिस्प्ले बोर्ड लगाने के लिये जो 10 बाई 10 की जगह होनी चाहिए वह हमारे पास नहीं है। और मेरा इस मंच के माध्यम से कहना है कि हजारो एकड़ जमीन उद्योगो को देने के लिये है 10000 हेक्टेयर जो उद्योगों के लिये भू–अर्जन की गई, 10 साल हो गये आज तक न कोई उद्योग लगा और न तो वो जमीन किसानों को वापस हुई और जो किसान वहा खेती भी कर रहे है उनको जो छत्तीसगढ़ का जो धान खरीदी केन्द्र है उन किसानों का धान भी नहीं लिया जा रहा है। और हमारे पास 10 बाई 10 के कमरे के लिये डिस्प्ले बोर्ड नहीं है। हमने कहा था कि नहीं है जगह तो आप कलेक्ट्रेड के ऊपर लगा लो, आप किरोड़ीमल चौक पर लगा लो, आप बंजारी मंदिर के ऊपर लगा लो ताकि यहा जो काम करने वाले वर्कर है कम से कम उस डिस्प्ले बोर्ड को देख सके और जिससे यहा की प्रदूषण की स्थित क्या है उस पर समुदाय का कंपनियों के ऊपर थोड़ा नियंत्रण हो जिससे लोगो की जो स्वास्थ्य सुविधाये है जो स्वस्थ्य शरी है उसका कम से कम उनका नियंत्रण हो, परन्तु वह होता नहीं। आप सर मेरे घर में डिस्प्ले बोर्ड लगा दीजिये हमारे छत के ऊपर मैं देने के लिये तैयार हूँ कोई पैसा नहीं लुंगा सर और आप बोलोगे तो उसका मैं मानीटरिंग भी कर दूंगा। हम वो भी करने के लिये तैयार है, लोगो का रेल्वे स्टेशन जैसी जगह है वहा आप डिस्प्ले बोर्ड लगवा दीजिए। कोरबा में लगा हुआ है, बिलासपुर में लगा हुआ है, भिलाई में लगा हुआ है, आखिर रायगढ़ में क्यों नहीं लगता जो कि हम साढ़े 04 अरब रूपये कोयला की रायल्टी सरकार को देते है सर बैठे है। मैं भी विभाग से यह निकाला 356 करोड़ रूपये हम डी.एन.एफ. में इकट्ठा करते है और हमारे पास डिस्प्ले बोर्ड नहीं है तो ये पैसे का अभाव है कि नियम का अभाव है प्रश्न यह उठता है। हमारी नियत भी साफ नहीं है और हम लोगो के साथ मजाक कर रहे है लोगो के स्वास्थ्य के साथ मजाक कर रहे है। सर रोजगार के मुद्दे की बात करे हमने बताया था कि 01 लाख 84 हजार रायगढ़ जिले के रोजगार कार्यालय में युवाओं का पंजीयन है और 03 लाख गांव का पूंजीनिवेश है तो अगर हमारे यहां बेरोजगार भाई बैठे है अगर ये तीन उद्योगो में तीन बेरोजगार भाईयों को नौकरी मिल जाये तो दो चिजे होती है सर, एक तो इनके परिवार की रोजी–रोटी चलेगी और हमारा जो युवा साथी है अपराधी बनने से बच जायेगा। इन 10 सालो में 1991 का आप डाटा देख लिजिए जितना पुरे रायगढ़ जिले में मौत होता था अब उतने अपराध हर महिने एक थाने में होता है यहा पुलिस के लोग बैठे है पुछ लिजिए टी.आई. बैठे है, सी.एस.पी. साहब बैठे है, एडिशनल एस.पी. साहब बैठे है आप पता लगा लिजिए और ये अपराध क्यों बढ़ रहे है। अपराध दो तरीके से बढ़ रहे है एक तो यह है कि स्थानिय लोगो के लिये रोजगार नहीं है इसलिये उनको जो अपनी जरूरत की चिजे है वो अपराधिक प्रवृत्ति से करना चाहते है। और दूसरा यह कि जो दूसरे राज्य से लोग है इनको इस बात का डर नहीं है कोई समाज नहीं है, खुद का परिवार नहीं है तो हम अपराध करने में हिचकते नहीं खरसिया के एक 05–08 साल के बच्चे को लेकर झारखण्ड का आदमी यहा से बाई रोड झारखण्ड चजा जाता है हमारे रायगढ़ के पुलिस को धन्यवाद जिन्होने 24 घंटे के अंदर कड़ी मेहनत के पश्चात सफलता पूर्वक उस बच्चे को उस परिवार तक लाकर छोड़ा। ये पुलिस की सफलता थी। लेकिन आये दिन अपराध बढ़ रहे है सर तो हमारा यह कहना है कि उद्योग स्थापित हो तो उद्योगों में स्थानिय

लोगो को रोजगार देने का प्रक्रिया जो है वो उद्योगपतियों को उद्योग के साथियों को यहा चलाना चाहिए। सर यहा के लोगो की निर्भरता क्या है। यहा कल मै देख रहा था कि अभी तेंदु पत्ता की छोपाई चल रही है यहा लोग सर यह छत्तीसगढ़ है चावल खाते है और वह एक फसल खेती करते है लगभग 18 प्रतिशत रायगढ़ जिले की जमीन है वो दो फसली है वो सिंचित है बाकी आज भी जो हमारी जमीन है वह लगभग 80–40 प्रतिशत वो सिंचित नहीं है। यह मैं नहीं बोल रहा है ये आपके हैदराबाद के अंदर एन.आई.आर.पी. में हम भी गये थे और हमारे जिला पंचायत के जो प्रशासनिक अधिकारी गये थे वहा यह कहा गया कि रायगढ़ जिले के अंदर एग्रीकल्चर फायरिंग करनी थी और सब्जी उत्पाद के लिये करना था तो उन्होने बताया कि हमारे रायगढ़ जिले का सिंचित क्षेत्र यह है तो वो बोले आप यहा क्यों बैठे है पहले जाईये रायगढ़ जिले को सिंचित कीजिए इसके बाद आप दुबारा आईये यहा जो फल उत्पादन है जो सब्जियों का उत्पादन है उसके बाद विचार करियेगा तो हमारा एग्रीकल्चर गोथ क्या है तो यहा का मेरा कहना है कि लोकल जो हमारे लोग है आदिवासी लोगो का क्षेत्र है, पॉचवी अनुसुची क्षेत्र है यहा पहली आजिविका का जो साधन है खेती है। दूसरी जो उनके आजिविका का साधन है वह जंगलो से मिलने वाला हर्रा, बेहरा, तेंदु पत्ता, महुआ, डोरी, चार, चिरोंजी उससे लोगो की आजिविका जीते है और तीसरा यह है कि उनके पास जो पशुधन है और पशुधन का हालात तो आप देख ही लिये है कि लगभग जो 46 प्रतिशत गाय के गर्भाशय में है जो चिकित्सा अधिकारी बताते है कि उनके गर्भाशय में गाठ बन गई है, गाठ बनने की वजह से उनकी प्रजनन शक्ति छीड़ हो गई और 46 प्रतिशत हमारे जो पशु है जिन पर हमारे समाज और समुदाय की निर्भरता है वो एक तरीके से इस क्षेत्र में खतम हो गया है। तो हमको इस पर विचार करना चाहिए। हमसे बोलते है कि आप वहा माईक पर जाकर चिल्लाते हो आखिर परीणाम क्या होता है। आज सर मै 15 साल बाद बता देता हूँ कि ये तराईमाल को बरसात में जो चरवाहा है तो बता देगा कि कंपनी की ई.एस.पी. चल रही है कि नहीं यही हमारी सफलता है। आज इन जनसुनवाईयों में एस.डी.एम. कार्यालय से निकालकर ये जो जनसुनवाई तराईमाल में हो रही है ये हमारी दूसरी सफलता है, तीसरी सफलता यह है कि यहा के आस–पास के जो गांव के लोग यहा आते है और कैसे भी अपनी बात रखते है तो इतने लोग निकल रहे है यह भी हमारी सफलता है। और सबसे बड़ी सफलता यह है कि जो औने–पौने दामों में यहा के किसानो की जमीन उद्योग द्वारा 100–500 रूपये में ली जाती थी आज कम से कम सरकार ने 06, 08 और 10 किया है और उससे यहा के परिवार को फायदा है तो हमारे जिले में केवल इतना ही फायदा है और हम यही मानते है कि जो लोग है अपनी बात पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है ये सफलता और असफलता की बात नहीं है बात यहा के पर्यावरण की है यहा के आजिविका की है यहा के लोग रहते है उनके स्वास्थ्य की है उनके शिक्षा की है और विकास का जो पैमाना है तो आज कल यह कहते है आर्टिकल 21 में देश के हर इंशान को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण, बेहतर शिक्षा में उनका रहने का नैतिक अधिकार है जिसका आप सोचते है कि इन पुरी प्रक्रिया में आर्टिकल 21 का सीधा–सीधा उल्लंघन होता है तो सर जब इन जनसुनवाई की प्रक्रिया की जा रही है यहा के आस–पास के जो प्रभावित लोग है उनके आर्टिकल 21 की सूरक्षा की जाये उसकी निगरानी की जाये। जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

535. प्रकाश कुमार, उज्जवलपुर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ क्योंकि रोजगार और आर्थिक विकास की संभावना है। आज विरोध वहीं लोग कर रहे है जिसके पास पैसा है। हमारे पास नहीं है पैसा। हमे हमारे घर के पास रोजगार चाहिए। हम बाहर नहीं जाना चाहते है। हम यही रहकर काम करेंगें। यही रहूंगा। प्लांट रहेगा तभी छत्तीसगढ़ बढ़ेगा। सरकार भी जानती है प्लांट आयेगा तो विकास होगा। हर पंचायत में गाम में सरकारी भवनों के लिये प्लांट वाले दिये है। मै स्टूडेंट हूं प्लांट से कुछ सिखने का मिलता है।

536. डमरूधर– मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

537. किर्तीलाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

538. देवराज – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

539. कृष्णकुमार, उज्जवलपुर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

540. फागुलाल, उज्जवलपुर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

541. हीरोलाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

542. तुलेश्वर सिदार – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

543. चैन सिंह सिदार, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

544. राजेश मालाकर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

545. धनुर्जय राठिया – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

546. मालाकार – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

547. मंतोषी राठिया – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।

548. राजेन्द्र – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

549. गिरिश मालाकर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

550. बलराम, उज्जवलपुर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

551. सोन सिदार, उज्जवलपुर– मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

552. झसकेतन यादव – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

553. जितेन्द्र राम – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

554. श्यामजीत – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

555. राकेश कुमार – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

556. मनजीत – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

557. दीपक राठिया, छर्राटांगर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

558. सीरस – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

559. सेतकुमार – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

560. रामसिंह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

561. बोधराय – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

562. सुरेन्द्र राठिया – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

563. नारायण – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

564. गौतम, छर्राटागंर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

565. जगेश्वर – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

566. परमानंद – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

567. शुभम मालाकार, तराईमाल – प्लांट का विरोध करने से पहले शासन, प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का घोर विरोध करता हूँ। इस कोराना काल में इस प्रकार की जनसुनवाई का कार्यक्रम कराना मैं उचित नहीं समझता। अभी कोविड–19 पुरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। आप अधिकारीगण व प्रबंधक तथा अन्य जनता कोविड से रिलेटेड नहीं लगा पाई है। ना मुझे किसी प्रकार का चिंता है। उस पर ध्यान देकर इस प्रकार का आयोजन करना मै उचित नहीं समझता, आपको भी समझना चाहिए। यहां किसी भी प्रकार का कोविड के नियमों का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। अगर पुनः कोरोना विस्तार बढ़ रहा है आयोजन को प्रभावित करता है तो सम्पूर्ण जवाबदारी प्रबंधक और शासन की होगी और अगर कोई भी इस क्षेत्र का प्रभावित होता है तो मैं हाईकोर्ट में चुनौति अपील रखुंगा। इससे पहले दिनांक 25.11.2020 के आयोजित जनसुनवाई के कार्यक्रम में मैं बोला था कि कोरोना को शासन व प्रशासन खुली चुनौती दे रहे है और आज पुनः बोलता हूँ। रायगढ़ जिले में और कितने उद्योग खुलेंगे बताईये, रायगढ़ जिले में एक के बाद एक जनसुनवाई हो रही है। इसी सत्र् में इसी परिसर में इन्ही अधिकारीगण द्वारा 25.11.2020 को 27.11.2020 को दो लगातार अजय रोलिंग मिल की क्षमता विस्तार की लोकसुनवाई चली फिर 03 मार्च व 05 मार्च को एन.आर.बी.एस. की दो आयोजित हुई, समर्थन, विरोध चली। और आज बी.एस. स्पंज प्रा.लि. की जनसुनवाई संचालित है। इतना ही नहीं 12 मार्च और 07 अप्रेल की जनसुनवाई प्रस्तावित है। इससे सीद्ध होता है कि जन–जीवन की कोई सुनवाई नहीं है। यहा जितनी भी जनसुनवाई हुई है उसे वही अधिकारी, वही पुलिसकर्मी, वही लोग, वही बंजारी परिसर, वही टेंट, वही दलाल, वही गांव के लोग बस अंतर इतना है कि प्रबंधक लोक प्लांट का नाम बदल रहे है। पैसे के बल–बुते पर ही यह विस्तार बढ़ा रही है और समर्थन पा रही है। हर अधिकारी के लिये लाख–लाख रूपये हर गांव के दलालो के लिये लाख–लाख रूपये बाट रही है ये कंपनिया। बस यही नहीं कोई भी कानुन का पालन नहीं कर रहा है। अपने नैतिक दायित्यों का भी निर्वहन नहीं कर रहा है। आज लालची तरीके से ई.आई.ए. बनाकर यहा जनसुनवाई कार्यक्रम करने पहुच जाती है, बी.एस. कंपनी भी यही है जो 43, 36 गांव को समेट लिये है। मैं लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा हूँ मैं अपनी बात विधिक तथा संवैधानिक तरीके से रखुंगा। 73 व संविधान संसोधन 1992 के तहत पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में लागु है भारत के संविधान में यह लागु है और अनुसूची 05 के तहत् जिला रायगढ़ व ग्राम–तराईमाल अनुसुची 05 क्षेत्र में आता है। पेशा अधिनियम 1996 लागु है यहा ग्रामपंचायत और ग्रामसभा सर्वोपरी है लेकिन ग्रामपंचायत तो अपनी हस्ताक्षर नहीं है और इन प्रबंधको को आपने करोड़ो की रकम पर दोनो कानुन को भंग करने की रणनीति अपना रहे है। प्रबंधक और ये शासन से पुछना चाहता हूँ कि इसी आवेदन, प्रतिवेदन ग्रामसभा, ग्रामपंचायत में कहा रखी है ग्रामपंचायत में या ग्रामसभा में और मैं अगर चाहु तो प्रबंधक और ग्रामपंचायत का कागज बज के नहीं जा सकता। क्योंकि ये ग्रामपंचायत में करवाती है प्रस्तावित तो ग्रामपंचायत–तराईमाल का आश्रित ग्राम निरजपुर छुटा है और यह ग्रामसभा में

कराती है तो इन्हे यह नहीं पता की ग्रामसभा की अध्यक्षता कौन करता है। और यदी ग्रामपंचायत प्रस्तावित की है तो ग्राम–तराईमाल में भी ग्रामसभा होनी चाहिए थी और ग्राम–उज्जवलपुर में भी ग्रामसभा होनी चाहिए थी। आज भी दुसरे गांव से आ जाते है और हमारे गांव तराईमाल में 20–25 डिसमील जमीन ले लेते है पंचायत का पद धारण कर लेते है और आ जाते है कंपनी का दलाल बनने। ग्रामपंचायत तो मासुम है उसको कुछ नहीं आता बस उसे फायदे से ही मतलब है। उनको पेशा कानुन क्या होता है नहीं पता है। इस प्रकार का औद्योगिक क्षेत्र है पंचायती व्यवस्था सही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस अनुसूचित क्षेत्र–05 में राष्ट्रपति से भी बढ़कर ग्रामपंचायत होती है। इस प्रकार संविधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख सिर्फ और सिर्फ ग्रामपंचायत होता है। लेकिन इन ग्रामीण पंचायतों को क्या पता बस प्रबंधन की लालच में आकर पुरी ग्रामवासी को मरने–मारने का ठेका ले लेते है। इसी पंचायत में प्लांट का प्रंबंधक का मनोबल बढ़ता है यदि ग्रामपंचायत और दलाल प्रबंधक की मुट्ठी में है। इससे ग्रामपंचायतो के सदस्यों का शासन के अलावा प्रबंधन से भी लाभ पहुचता है, जेब भरते है, दीवाली आती है, दशहरा आता है, घर में मिठाई पहुचती है। जनसुनवाई की अध्यक्षता कर रहे पर्यावरण अधिकारी पर्यावरण का अर्थ मुझे समझा दीजिए। या तो वे पर्यावरण का अच्चे से जानते होंगे क्योंकि वे पर्यावरण अधिकारी है। यह कि मैं शुद्ध, स्वच्छ गांव में रहता हूँ इसलिये। पिछली जनसुनवाई में मैं यहा उपस्थित था मौसम खराब था, बहुत हवायें चल रही थी उस दिन सायद पर्यावरण अधिकारी काला चश्मा पहन कर आये थे उन्हे हवा के साथ–साथ काले डस्ट और प्रदूषण नहीं दिखा इससे बड़ा क्या एक्जाम्पल हो सकता है बताईये। ये किस तरह के प्रदूषण पर विश्वास करेंगे। और अपना निर्णय लेंगे। अभी भी मैं दावा करता हूँ कि कही भी जाने की जरूरत नहीं है मैं यहा पर प्रदूषण कितना है इसका प्रमाण दुंगा। बस सर आपको बंजारी मंदिर के परिसर के चारो ओर घुमना पड़ेगा उसके बाद आप जो पहने है कपड़े, वाईट करल का मास्क काले नहीं पड़ गये तो क्या बोलु। अगर यहा प्रदूषण नहीं है तो मेरा समर्थन बी.एस. प्लांट को जायेगा। लेकिन कृपया करके निरीक्षण करने की एक बार सहमति दे। मुझे पता है यह सब एक औपचारिकता है आप भी जान रहे है। आपको बी.एस. प्लांट की सारी पोल बंजारी मंदिर में ही मिल जायेगी कही जाने की जरूरत नहीं है। यही वो काले पेड़ है जो प्रदूषण का प्रमाण देगी। यही भारत का तालाब होगा जमा मरी हुई मछली उपर तक तैर रही होगी। यही की छतो में लहराता हुआ माताजी का ध्वजा अपने काले होने का प्रमाण दे देगी। आप केवल औपचारिक मात्र के अधिकारी है। आपको पर्यावरण कुछ नहीं देती बस ये प्रबंधक लोग दे देते है लाखो और करोड़े के रकम। मैं सिर्फ तराईमाल की बाते करूंगा। क्योंकि यह आपके जो ई.आई.ए. रिपोर्ट के मुताबिक 10 कि.मी. के दायरे के अंतर्गत 1.4 कि.मी. के दायरे के अंतर्गत आता है। और सबसे ज्यादा प्रभावित वहा है आस–पास 16 प्लांटे है यह भी पता नहीं कि सच है या नहीं। ई.आई.ए. में जो लिखा है उसके अनुसार 16 प्लांटे है। और मैं बाकी गावों का विवरण सुनाने जाउंगा तो यह जनसुनवाई सायद जनसुनवाई नहीं होगी। ग्रामपंचायत तराईमाल को रायगढ़ जिले के सबसे पहले मुली उत्पादन का गढ़ माना जाता था, यही से रायगढ़ जिले को मुली व सब्जी की पुर्ति की जाती थी। आज वही किसान सब्जी खरीद कर खाते है जो पुराने किसान थे उनके लिये तराईमाल अभिशाप बन गया है। अगर कोई भी कृषि करना चाहे तो भूमि ही सर्मिदा हो जायेगी क्योंकि उसकी उर्वरक और जैवीय शक्ति समाप्त हो चुकी है। मेरा

(3)

ग्रामपंचायत–तराईमाल में 10 एकड़ जमीन है और जमीन के रहते हुये भी मैं खुद को भूमिहिन महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं चाह कर भी कृषि करना चाहु तो खेतो से 25 प्रतिशत उत्पादन भी संभव नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी जमीन 100 प्रतिशत उत्पादक देने क्षमता रखती है तो उसमें किसान की जवाबदारी होती है कि किसान किस तरह से उर्वरक, जैवीक खाद, पानी और उसके पर्ववेक्षक की रक्षा करें जिससे उसे 100 प्रतिशत उत्पादन निश्चित ही मिले लेकिन तराईमाल की जमीन में 25 प्रतिशत भी उत्पादन की क्षमता नहीं है। अभी वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कोई किसान 01 एकड़ में खेती करता है तो उसे 01 लाख तक की राशी प्राप्त होती है। मेरे पसास 10 एकड़ जमीन है अगर मैं कृषि करना चाहता हूँ तो 100 प्रतिशत में कम से कम मुझे 08 लाख मिलेंगे सालाना। इन प्लांटों के कारण 25 प्रतिशत भी उत्पादन नहीं पायेगी क्योंकि तराईमाल प्रदूषित का क्षेत्र बन चुकी है। यह बी.एस. प्लांट मुझे शेष 75 प्रतिशत राशि 06 लाख सालाना खरीफ फसल का मुआवजा मुझे देगी तब मैं प्लांट का समर्थन करता हूँ। आज जनसुनवाई किसके द्वारा हो रही है, अपनी उपलब्धि, अपने व्यावसायिक चिंता के कारण करा रही है। ई.आई.ए. रिपोर्ट में लिखा है कि ई.एस.पी. निरंतर चालु है ये बतादे कि इनकी ई.एस.पी. 24 घंटे चालु रहती है, क्या ये बैग फिल्टर का सही तरह उपयोग करते है। उन्ही के प्लांट वाले बताते है मुझे कि सुबह 06 बजे से साम के 06 तक ई.एस.पी. चालु रहती है बाकि समय साम 06 से रात 09 बजे तक बंद रहती है। तराईमाल की ई.एस.पी. बिजली मुक्त रहती है क्योंकि यह प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टी होती है। इसी तरह ई.एस.पी. औपचारित रूप से कार्यरत रहता है। 1.4 कि.मी. के दायरे पर सबसे प्रभावित व्यक्ति मैं ही हूँ। ये बोलते है कि प्रत्येक रोज हमारा ई.एस.पी. चालु रहता है तराईमाल 1.4 कि.मी. के दायरे में आता है किसी के भी घर जाकर देखीये 0.5–1.0 कि.मी. में काले डस्ट निकलते है। मेरे द्वारा सभी प्लांटों की जानकारी आई.डी.आई. रिपोर्ट के लिये सौपी गई है जिसमें स्थानिय लोगो के लिये रोजगार देने की बात हो, सी.एस.आर. के तहत् नौकरी देने की बात हों, ग्रामपंचायत के लिये किये गये कार्यो की बात हो, प्लांट प्रदूषित रिपोर्ट बनाते है उसकी बात हो। मेरे द्वारा समस्त जानकारी सूचना आयोग से मांगी गई है। ये प्लांट व प्रबंधक द्वारा बंजारी मंदिर के लिये भी प्रदूषण की रोकथाम के लिये भी विरोध एवं आर.टी.आई. मांगी गई है मेरे द्वारा। बंजारी मंदिर आजादी के पश्चात् संचालित हो रही है यह आस्था का केन्द्र के रूप में विस्तार हो रहा है यह अच्छी बात है हमारे लिये गौरव की बात है। यह जमीन मेरे दादाजी व उनके भाई और शेष जमीन अंकुर गौटिया के द्वारा दिया गया था। यह दान आस्था के नाम पर दिया गया था ना की इस प्रकार जनसुनवाई, पार्टी, दलाली के लिये दिया गया था। इस प्रकार का कार्यक्रम मंदिर परिसर में शोभा नहीं देता। बी.एस. प्रबंधक 18.06 एकड़ में प्लांट प्रस्तावित व स्थापित कर रही है लेकिन मात्र 03–04 एकड़ में जनसुनवाई का कार्यक्रम आयोजित नहीं करा सकती है लेकिन प्लांट परिसर में जनसुनवाई कराने से उनके सारे पोल खुल जायेंगे। मेरे दादाजी सन् 1962 से बंजारी मंदिर का संचालन व स्वयंसेवा कर रहे थे। वे बताते थे कि पहले भी यहा ज्योति, कलश जलते थे, नवरात्री मनाई जाती थी जिससे यह पता चलता है कि प्लांट मात्र आने से बंजारी मंदिर का विकास नहीं हुआ है। सिर्फ प्रदूषण फैला है। बी.एस. स्पंज लिमिटेड रोजगार देने के लिये नहीं छिनने के लिये है। ये प्लांट बता दे कि ग्रामपंचायत–तराईमाल में के कितने स्थानीय लोगो को ये रोजगार दिये है। ग्रामपंचायत–तराईमाल की कुल

आबादी 04 हजार से अधिक है जिसमें व्यस्क व्यक्ति की आबादी 2280 के आस–पास है जिसमें योग्य साक्षारता 1200 के आस–पस है, अयोग्य बेरोजगार 50–60 है। कॉलेज, ग्रेज्यूवेट बेरोजगार 900–1000 के आस–पास है। क्या उद्योग को समर्थन देकर प्रदूषण से प्रभावित होने के लिये ही कर रहे है। तो ये सारे व्यक्ति, प्लांट में जमीन दिये है और उन्हीं को रोजगार नहीं है। और मुख्य बात यह है कि स्थानीय लोग का भविष्य नहीं देखा जाता। आपके प्रबंधक से निवेदन है कि कोई सिनियर एच.ओ.डी. है अंकित सिंह और जी.एम. सायद राठौर मंच के माध्यम से परिचित करवाये उन्हे ताकि उनके विषय में भी कुछ बोल सकु। अंकित सिंह द्वारा सबसे पुराने कर्मचारी जो स्टैब्लिस करके बी.एस. प्लांट में निरंतर 15 साल तक काम किया है उनसे रिजाईन लेटर मांगा गया। उनकी बस इतनी ही गलती थी कि वे लॉकडाउन के समय घर चले गये थे। कोरोना काल में प्लांट उनका सहायता नहीं किया और उनको निकाल दिया गया और इसी तरह अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। ये प्लांट सी.एस.आर. के तहत् किस प्रकार की नौकरी देते है स्थानिय लोगो को कितनी नौकरी दी है। लेकिन उन्ही के प्लांट में कार्यरत मजदुरो को ये बी.एस. प्लांट किस तरह के सुरक्षा का मुहैया कराये। ग्रामपंचायत–तराईमाल के चारो ओर प्लांट है लेकिन सिर्फ अपवाद प्लांट नलवा स्टील के पास ही एम्बुलेंस की सुविधा है। बाकि सब प्लांट पैसे कमाने के लिये आये है।करोड़ो का बिजनस करो बस यही आता है प्लांटों को। ग्रामपंचायत–तराईमाल में सिर्फ बी.एस. स्पंज प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा रोलिंग मिल संचालित है जहा पर सरिया का उत्पादन किया जाता है लेकिन ये सरिया बड़े–बड़े व्यापारी 10–20 टन सरिया लेने वालो को ही ये व्यापार करते है, उन्ही को बेचते है ना की स्थानीय ग्रामीण व्यक्ति को। जब कोई स्थानिय व्यक्ति छड़ लेने पहुचता है तो इनके पास उपलब्ध नहीं रहती है छड़। ग्रामपंचायत–तराईमाल में ही इनका स्थापित हुआ है, विस्तार हुआ है संचालित कर रहे है। और जब ग्रामीण 01–02 टन छड़ लेने पहुचता है तो उसे जी.एस.टी. नंबर मांगा जाता है, कहां से लायेंगे सर ग्रामीण जी.एस.टी. नंबर, साथ ही ये छड़ बाजार भाव से 02 रूपया महंगा मिलता है। क्या होलसेल वालो को सस्ता में देते है और ग्रामवासियों के लिये 02 रूपया एक्ट्रा बढ़ा दिया जाता है। प्लस जी.एस.टी. भी मांगा जाता है तो इस प्रकार का महत्व नहीं देते है ग्राम वालो को। अगर मैं बोलु जो आते है राधेश्याम शर्मा जी एक ही व्यक्ति गांव को हिला कर रख देता है। इस तरह जब 09 बन गये राधेश्याम शर्मा उस दिन यहा प्लांट प्रबंधन को भगना पड़ जायेगा और यह जल्द ही करेंगे। इनकी ई.आई.ए. रिपोर्ट पर आता हूँ ये बोल देते है कि 3.5 प्रतिशत में बस्ती है और इण्डस्ट्रीयल एरिया 6.5 प्रतिशत। ईआईए. में 36 गांव है जबकि 46 गांव हैं रायगढ़ में फर्जी ई.आई.ए. से ही उद्योग का विस्तार किया जा रहा है। 36 गाव की बस्तीयां सीर्फ 3.5 प्रतिशत में ही सामिल की जा रही है। कोरबा में 43 प्रतिशत पी.एम. 10 प्रदूषित माना गया है और रेड जोन में सामिल किया गया है। जल्द ही रायगढ़ जिला भी रेड जोन में शामिल होगा। ये बता देते है कि पी.एम. 2.5 का व्यास 2.5 माईक्रो मीटर होता है इसका मतलब यह होता है कि सरसो के दाने को हम 70–80 टुकड़े करे तो यह 2.5 होता है। क्या ये हमारे श्वसन अंग को प्रभावित नहीं करते है आप कंपनी वाले 22.2 से 49.8 माईक्रो घनमीटर लिख देते है और इसी को 365 से गुणा करके देखीये कितनी उत्पादक बनती है इसकी। पी.एम. 10 माईक्रो मीटर से भी कम व्यास वाले इसका मतलब सरसो के दाने को 20–30 टुकड़े किये जाने पर यह पी.एम. 10 बनते है। जो तराईमाल मे स्थानिय निवासियों के

आंगन में गिरते है जो पी.एम. 10 है। और ये ई.आई. रिपोर्ट में लिखते है कि कुल ई.आई.ए. में 250 के 06 किल्न स्थापना किया जा रहा है। अगर ये 365 दिन निरंतर काम करते है तो 04 लाख 95 हजार टी.पी.डी. का माल बना लेता है। और इनकी ई.आई.ए. रिपोर्ट में भी प्रस्तावित है कि 04 लाख 95 हजार टी.पी.डी. तो शेष 65 दिन में ये क्या करेंगे। अगर ये चाहे तो 65 दिन में प्रस्तावित किल्न में 97 हजार 500 टी.पी.डी. उत्पादन कर सकते है आयरन। अपनी संचालित क्षमता से 03 गुनी विस्तार करने के लिये यह जनसुनवाई हो रही है। हर प्लांट से संचालित क्षमता से 03 गुनी का विस्तार किया गया है। आप यह ई.आई.ए. रिपोर्ट देख सकते है। और निश्चित ही कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद भयानक संकट की स्थिति निर्मित होगी जिससे हम भी ग्रसित होंगे, तराईमाल तो पुरा प्रभावित होगा ही। तो मैं बी.एस. कंपनी का घोर विरोध करता हूँ।

568. दीपक शर्मा, तराईमाल – विरोध करता हूं, मैं बेरोजगार हूँ।
569. खिरसागर मालाकार – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
570. कन्हैयालाल गुप्ता, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
571. पंचराम मालाकार, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
572. मुकेश अग्रवाल, गेरवानी – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
573. गंगाप्रसाद, सामारूमा – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
574. अश्वनी पटेल, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
575. नरेश घोय, तुमीडीह – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
576. राजेश गुप्ता, सराईपाली – मैं विरोध करता हूँ। ई.आई.ए. रिपोर्ट अगर 10 कि.मी. की परिधि में बनाई जाती है तो हमारे गांव को ईस ई.आई.ए. रिपोर्ट की प्रतिलिपि क्यो नहीं दिया गया है। हमारा गांव 03 कि.मी. में आता है। हमें भी शुद्ध वातावरण चाहिए ये हमारा अधिकार और आप लोग हमारे अधिकार का हनन कर रहे है।
577. करण, तराईमाल – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। स्थानीय लोगो को बहुत कम नौकरी मिली है हमें भी नौकरी दे।
578. बोधराम, – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
579. सुनील कुमार – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
580. कमल कुमार – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस–पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये है जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद 3:00 बजें कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये ज्वलंत मुद्दो तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

कंपनी कंसलटेंट श्री महेश्वर रेड्डी द्वारा बताया गया कि ये प्रस्तावित परियोजना में लोकल लोगो को नोकरी दिया जायेगा। 45 दिन का नियम रखा है मिनिस्ट्री नें। ये कोई नियम का उल्लघन नहीं है। प्रस्तावित विस्तारण में वायु प्रदूषण के लिये बैग फिल्टर लगाया जाया। ये विस्तार फौरेस्ट लैण्ड में नहीं कंपनीं की जमीन हो रहा है। प्रस्तावित परियोजना में कोई दूषित जल बाहर नहीं जायेगा , सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट में से फिल्टर किया जायेगा। कंपनी से निस्तारित पानी को वृक्षारोण सिंचाई में उपयोग किया जायेगा। तराईमाल से 10 कि.मी.

में कितना रिर्जव फारेस्ट है मैं में हमने आकलन किया गया है। देवलमुड़ा नाला से पानी लिया जायेगा। विस्तार में कोई ग्राउण्ड वाटर का उपयोग नहीं किया जायेगा। 36 एकड़ में ग्रीन बेल्ट होना है। तराईमाल में 10 कि.मी. की परिधि के अनुसार जितना गांव आता है उतना ही मेनशन किया गया है। फ्लाई एश का निपटान मापदण्ड के अनुसार ही किया जायेगा। सी.एस.आर. में 3.84 करोड़ का प्रावधान है। चिमनी में लगी ई.एस.पी. आज सी.ई.सी.बी से कनेक्टेड है अगर बंद की जाती है तो उनको पता चल जाता है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार में एम्बुलेंस का उपयोग किया जायेगा।

सुनवाई के दौरान 131 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में 02 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई। लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। तत्पश्चात सायं 3:30 बजे धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

10/3/2

(एस.के. वर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(आर.के. कटारा)
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)